होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों को डियूटी पर नियोजित किये जाने से संबंधित शासनादेश/मुख्यालय के आदेश

क्र0 सं0	दिनांक	शासनादेश/मुख्यालय के आदेश संख्या-	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	22-04-2004	शासनादेश-1046/छ:नासु-04-71होगा/2004	कामर्शियल डियूटी पर नियोजित होमगार्डस स्वयंसेवकों के लिए संस्थाओं से प्राप्त डियूटी भत्ते राजकीय कोष में जमा करके शासन द्वारा निर्धारित दरों पर होमगार्डस को डियूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।	**07**
2	14-02-2005	शासनादेश-217/छ: नासु-05-390होगा/97	सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/संस्थाओं/औद्योगिक बाजारों तथा निजी संस्थाओं में होमगार्डस की तैनाती किये जाने की अनुमति।	**09**
3	02-11-2007	मुख्यालय के आदेश 2300/लेखा/एक-635/1986	सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/संस्थाओं/औद्योगिक बाजारों तथा निजी संस्थाओं में होमगार्डस की तैनाती किये जाने की स्वीकृति का अधिकार मण्डलीय कमाण्डेन्ट को दिये जाने के संबंध में।	**11**
4	14-12-2007	शासनादेश-4672/छ: नासु-07-300होगा/07	पुलिस बल के सहायतार्थ अतिरिक्त 25000 होमगार्डस की स्वीकृती। पुलिस बल के सहायतार्थ 25335 होमगार्डस की जनपदवार डियूटियों की संख्या का निर्धारण	**13**
5	19-07-2008	मुख्यालय के आदेश 1124/लेखा/सात-414/2005	पुलिस बल के सहायतार्थ अतिरिक्त 25000 होमगार्डस की स्वीकृती। पुलिस बल के सहायतार्थ 50335 होमगार्डस की जनपदवार डियूटियों की संख्या का निर्धारण	**15**
6	15-06-2009	शासनादेश-2197/छ: नासु-09-390होगा/97	सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/संस्थाओं/औद्योगिक बाजारों तथा निजी संस्थाओं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर होमगार्डस की तैनाती किये जाने के संबंध में।	**19**
7	23-06-2009	शासनादेश-2224/छ: नासु-09-390होगा/97	सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/संस्थाओं/औद्योगिक बाजारों तथा निजी संस्थाओं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर होमगार्डस/पूर्व सैनिकों की अनिवार्य रूप से	**21**

			तैनाती किये जाने के संबंध में।	
8	28-06-2009	मुख्यालय का आदेश-3346/लेखा/सात-276/2003(पार्ट-1)	सार्वजनिक प्रतिष्ठान/निगमों/उपक्रमों/शासकीय कार्यालयों में भुगतान के आधार पर बिना शस्त्र के होमगार्डस की तैनाती डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेन्ट की अनुमति एवं सशस्त्र होमगार्डस की तैनाती होमगार्डस मुख्यालय की अनुमति प्राप्त कर जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस द्वारा की जायेगी।	**24**
9	24-08-2009	शासनादेश-2943/छः:नासु-09-138होगा/97	होमगार्डस स्वयंसेवकों को रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाये जाने/विभिन्न अधिकारियों के साथ सम्बद्ध होमगार्डस स्वयंसेवकों की संख्या का निर्धारण।	**25**
10	18-11-2009	शासनादेश-3867/छः:नासु-09-138होगा/97	होमगार्डस स्वयंसेवकों को रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाये जाने/विभिन्न अधिकारियों के साथ सम्बद्ध होमगार्डस स्वयंसेवकों की संख्या का निर्धारण संबंधी शासनादेश दिनांक 24-08-2009 में आंशिक संशोधन।	**28**
11	01-12-2011	मुख्यालय के आदेश 2450/लेखा/सात-258/2010	सार्वजनिक प्रतिष्ठान/निगमों/उपक्रमों/शासकीय कार्यालयों में भुगतान के आधार पर होमगार्डस की तैनाती की शर्तो का निर्धारण ।	**29**
12	15-02-2013	मुख्यालय के आदेश 3131/लेखा/साफ्टवेयर-265/2009(II)	होमगार्डस स्वयंसेवकों को समान रूप से ड्यूटी के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटर साफ्टवेयर से ड्यूटी लगाने के संबंध में।	**32**
13	02-10-2014	मुख्यालय के आदेश 1686/लेखा/सात-258/2010	सार्वजनिक प्रतिष्ठान/निगमों/उपक्रमों/शासकीय कार्यालयों में भुगतान के आधार पर 02होमगार्डस को जोड़ी में सशस्त्र/निःशस्त्र ड्यूटी पर लगाये जाने की बाध्यता नहीं है।	**34**
14	12-03-2015	मुख्यालय के आदेश 3023/लेखा/साफ्टवेयर-265/2009(II) (भाग-2)	संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत होमगार्डस स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन के संबंध में प्रतिशत का निर्धारण।	**35**
15	16-12-2015	शासनादेश -77/2015/3130/95-2015-100होगा/94	किसी विभाग के मा0 मंत्री /पूर्व मा0 मंत्रीगंण/जनप्रतिनिधियों/व्यक्तियों/शासन व अन्य विभागों एवं संस्थाओं से सम्बद्ध होमगार्डस स्वयंसेवकों का डियूटी	**36**

			भत्तों का भुगतान संबंधित विभागों के आय व्यय से वहन वहन किये जाने के संबंध में।	
16	23-02-2016	शासनादेश-02/95-2016-390होगा/97	प्रदेश के विभिन्न समितियों /निजी संस्थाओं द्वारा संचालित स्ववित्तपोषित विद्यालयों/विश्वविद्यालयों की सुरक्षा हेतु उनके द्वारा भुगतान के आधार पर होमगार्डस की तैनाती किये जाने के संबंध में।	**38**
17	01-03-2016	मुख्यालय के आदेश -4571/लेखा/ साफ्टवेयर-265/2009(भाग-2)	होमगार्डस की डियूटी प्रतिस्थापन हेतु साफ्टवेयर में नियमित डियूटी/अल्पकालिक डियूटी/आपातकालीन डियूटी लगाये जाने की व्यवस्था के संबंध में निर्देश।	**39**
18	31-08-2016	शासनादेश-38/2016/1791/95-16-390होगा/97	सार्वजनिक उद्यमों/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं से इतर निजी समितियों/ संस्थाओं द्वारा स्थापित पिद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की सुरक्षा हेतु उनके द्वारा भुगतान के आधार पर होमगार्डस की तैनाती किये जाने के संबंध में।	**40**
19	27-09-2019	मुख्यालय के आदेश-11997/लेखा/7-146/2005(पार्ट-2)	विभागीय बजट की कमी के कारण होमगार्डस स्वयंसेवकों की स्वीकृत डियूटियों में 32 प्रतिशत (16519) डियूटियों में कटौती किये जाने के संबंध में।	**42**
20	30-12-2019	शासनादेश -72/2019/2687/95-2019-100होगा/94 टीसी	श्री राज्यपाल कार्यालय, मा**0** मुख्य मंत्री कार्यालय एवं आवास , पूर्व मा0 मुख्य मंत्रीगण के आवास, मुख्य सचिव कार्यालय, होमगार्डस विभाग से संबंद्ध होमगार्डस स्वयंसेवकों के अतिरिक्त किसी विभाग के मा0 मंत्री /पूर्व मा0 मंत्रीगंण/ जनप्रतिनिधियों/व्यक्तियों/शासन व अन्य विभागों एवं संस्थाओं से सम्बद्ध होमगार्डस स्वयंसेवकों का डियूटी भत्तों का भुगतान संबंधित विभागों के आय व्यय से वहन किये जाने के संबंध में।	**44**
21	03-01-2020	शासनादेश 02/2020/2589/95-2019-269होगा/17टीसी	होमगार्डस स्वयंसेवकों के डियूटी मस्टररोल के प्रमाणीकरण एवं रख-रखाव के संबंध में।	**46**
22	06-01-2020	शासनादेश -03/2020/31/95-	शासनादेश -72/2019/2687/95-2019-100होगा/94 टीसी दिनांक30-12-2019 में अंकित त्रुटिपूर्ण दिनांक का	**49**

		2020-100होगा/94 टीसी	संशोधन।	
23	10-01-2020	शासनादेश-04/2020/मं0-192/95/2020-100होगा/94 टीसी	मा0 उप मुख्य मंत्री, मा**0** नेता विरोधी दल, विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यतस्तीय डाटा सेन्टर, एन0आई0सी0, योजना भवन से सम्बद्ध होमगार्डस स्वयंसेवकों का डियूटी भत्तों का भुगतान होमगार्डस विभाग के आय व्ययक से किये जाने के संबंध में।	**50**
24	**2**7-03-2020	मुख्यालय के आदेश-3073/लेखा/डियूटी-01/2009	जनपदीय कार्यालय की सुरक्षा हेतु 04 अतिरिक्त होमगार्डस की स्वीकृति।	**51**
25	30-03-2020	मुख्यालय के आदेश-3156/लेखा/डियूटी-01/2009	जनपदीय कार्यालय की सुरक्षा हेतु 04 अतिरिक्त होमगार्डस की स्वीकृति से पहले मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति से कार्यालय सुरक्षा हेतु नियोजित होमगार्डस को अतिरिक्त रूप से कार्यालय सुरक्षा हेतु डियूटी पर न लगाया जाय।	**52**
26	27-04-2020	शासनादेश 22/2020/624/95-2020-390होगा/97	शासकीय/अर्धशाकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त होने की दशा में शासकीय/अर्धशाकीय सेवा का जिस अवधि का भुगतान प्राप्त किया गया हो उस अवधि की सेवा होमगार्डस स्वयंसेवक/अवैतनिक अधिकारी के रूप में न तो सेवायें ली जायेगी और न ही उसका भुगतान किया जायेगा।	**53**
27	04-08-2020	शासनादेश-36/2020/1275/95-2020-390होगा/97	अन्य विभागों/वाहय प्रतिष्ठानों में तैनात होमगार्डस स्वयंसेवकों को डियूटी पर नियोजित किये जाने एवं डियूटी भत्ता भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण	**55**
28	24-09-2020	शासनादेश-20/2020/1616/95-2020-138होगा/97	फील्ड स्तर के विभागीय अधिकारियों यथा डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल/मण्डलीय कामाण्डेन्ट/मण्डलीय कमाण्डेन्ट प्रशिक्षण/जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस के हमराह होमगार्डस की जिला अधिकारी/मण्डलायुक्त कोटे से इतर तैनाती की स्वीकृति।	**58**
29	06-01-2021	शासनादेश-	महिला एवं पुरूष होमगार्डस स्वयंसेवकों को बिना किसी	**59**

		01/2021/2487/95-2020-300होगा/01	भेद-भाव अनिवार्य रूप से डियूटी का समान अवसर प्रदान किये जाने के संबंध में।	
30	03-02-2021	मुख्यालय के आदेश-1453/लेखा/डियूटी-37/2013(पार्ट-1)	फील्ड स्तर के विभागीय अधिकारियों एवं कार्यलयों के सुरक्षार्थ अतिसंवेदनशील श्रेणी के अंतर्गत होमगार्डस की तैनाती के संबंध में।	**60**
31	06-03-2021	मुख्यालय के आदेश-2596/लेखा/स-26/2015	संवेदनशील कोटा के अंतर्गत पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों के साथ होमगार्डस स्वयंसेवको को प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में।	**61**
32	30-03-2021	मुख्यालय के आदेश-3473/लेखा/सात-146/2005(पार्ट-2)	डियूटियों में 32 प्रतिशत (16519) डियूटियों में कटौती को समाप्त किये जाने एवं दिनांक- 01-04-2021 से 31-03-2022 तक अतिरिक्त 25000 होमगार्डस स्वयंसेवकों की डियूटियों की निरन्तरता के संबंध में।	**62**
33	02-08-2021	मुख्यालय के आदेश-6300/लेखा/स-26/2015	जनपद में 05 जोड़ी होमगार्डस के पारस्परिक डियूटी स्थल परिवर्तत के संबंध में।	**63**
34	19-08-2021	मुख्यालय के आदेश 6915/लेखा/डियूटी-37/2013	कानून व्यवस्था के दृष्टिगत स्वीकृत अतिरिक्त 25 हजार डियूटियों की जनपदवार संख्या का पुर्ननिर्धारण	**64**
35	06-12-2021	मुख्यालय के आदेश-10727/लेखा/डियूटी-1/2009	विभागीय अधिकारियों की तैनाती के जनपद से इतर जनपद में परिवार के आवासित होने की स्थिति में परिवार की सुरक्षा हेतु अधिकारी की मांग पर परिवार के आवासित जनपद में अधिकतम 02 होमगार्डस की तैनाती किये जाने के संबंध में।	**67**
36	11-05-2022	शासनादेश-17/2022/2182/95-2021-46रिट/15टीसी।।।	केन्द्र सरकार के विभागों, विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों, प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक निकायों, शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थानों में भुगतान के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवकों को कम से कम 06 माह का अनुमानित डियूटी भत्ता अग्रिम प्राप्त करके होमगार्डस को प्रतिस्थापन के संबंध में।	**69**
37	28-06-2022	शासनादेश-23/2022/1452/95-2022-	केन्द्र सरकार के विभागों, विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों, प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक निकायों, शासकीय तथा अर्धशासकीय संस्थानों में भुगतान के आधार पर	**71**

		390होगा/97	होमगार्डस स्वयंसेवकों को पूर्व की भॉति डियूटियों पर प्रतिस्थापन के संबंध में।	
38	21-07-2022	मुख्यालय के आदेश-6840/लेखा/डियूटी-16/2014(पार्ट-2)	स्थानान्तरणाधीन विभागीय अधिकारियों के हमराह नियोजित होमगार्डस को अधिकारी के माह के किसी भी दिवस में स्थानान्तरण के उपरान्त भी माह की अंतिम तिथि तक होमगार्डस को उपलब्ध रहने की अनुमन्यता रहेगी।	**73**
39	04-08-2022	शासनादेश - 45/2022/2066/ पन्चानबे/2022-229होगा/2017	जनपदों यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पुलिस विभाग को 10 हजार होमगार्डस आवंटित करने के संबंध में।	**74**
40	22-11-2022	शासनादेश - 57/2022/2805/पन्चानबे/2022	डियूटीरत होमगार्डस की आनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज करने तथा उनके डियूटी मस्टररोल आनॅलाइन जनरेट कर अग्रसारित करने के संबंध में दिशानिर्देश।	**76**
41	23-03-2023	शासनादेश-15/2023/342/पंचानबे-2023-3000होगा/2001	प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पूर्व से प्रातिस्थापित 25000 होमगार्डस स्वयंसेवको की प्रतिस्थापन अवधि को दिनांक- 01-04-2023 से 31-03-2024 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।	**81**
42	19-06-2023	शासनादेश-4749/लेखा/डियूटी-37/2013(2023-24)	प्रदेश में आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनके स्थान पर कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत 25000 होमगार्डस के प्रातिस्थापन के संबंध में।	**82**
43	17-08-2023	शासनादेश-6645/लेखा/सात-281 /2006(पार्ट-5)	समस्त डियूटी प्रातिस्थापन साफ्टवेयर से ही किये जाने के संबधं में।	**84**
44	16-01-2024	शासनादेश-2455/पंचानबे-2024	प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत उपलब्ध 25000 होमगार्डस स्वयंसेवकों की दिनांक-01-04-2024 से 31-03-2025 तक अवधि बढ़ाये जाने एवं निरन्तरता बनाये रखने के संबंध में।	**85**

प्रेषक,

हरीश चन्द्र
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ०प्र०
लखनऊ।

गृह (नागरिक सुरक्षा) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 22 अप्रैल, 2004

विषय: कामर्शियल ड्यूटी पर नियोजित किये गये होमगार्डस स्वयंसेवकों के लिए कामर्शियल संस्थानों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक को होमगार्डों में भुगतान के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश है कि शासन के संज्ञान में यह आया है कि कामर्शियल संस्थानों पर ड्यूटी हेतु भेजे गये होमगार्डों के लिए संगत संगठन द्वारा रू० 100-00 तथा 120-00 की दर से धनराशि कामर्शियल ड्यूटी में प्राप्त होती है। इस धनराशि को बैंक खाते में जमा कर होमगार्डस को सीधे भुगतान कर दिया जाता है। इस पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कामर्शियल संस्थानों पर ड्यूटी हेतु भेजे जाने वाले होमगार्डस के पारिश्रमिक की पूरी धनराशि संस्थानों से वसूलकर शीधे राजकोष में जमा की जाए। इस धनराशि को बैंक खाते में जमा कर होमगार्डस को शीधे भुगतान करना वित्तीय अनियमितता है। विभागों द्वारा बैंक खाते खोलने एवं संचालित करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यदि होमगार्डस विभाग में बैंक खाते संचालित हैं, तो उन्हें बन्द कर उसमें जमा धनराशि को निकालकर तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जाय और अनाधिकृत रूप से बैंक खाते खोलने/संचालित करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर दोषी के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाये।

कामर्शियल ड्यूटी पर लगाये गये होमगार्डस स्वयंसेवक को पारिश्रमिक का भुगतान उसी दर पर देय है, जो विभागीय दर शासन द्वारा निर्धारित है। यदि अधिक दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान दिया गया है तो यह शासकीय हानि/क्षति माना जायेगा जिसकी वसूली भुगतानर्ता अधिकारी से किये जाने का मामला बनता है तदनुसार कार्यवाही की जाये।

कामर्शियल संस्थानों से होमगार्डस के पारिश्रमिक की धनराशि की वसूली सदैव विभागीय दर से अधिक दर से की जायेगी। यदि कामर्शियल ड्यूटी के पारिश्रमिक की दरों का पुर्ननिर्धारण काफी समय से नहीं किया गया है, तो अब पुनरीक्षण की कार्यवाही शीध्र सुनिश्चित करायी जाये।

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त आदेशों का कडाई से पालन करते हुए एक सप्ताह के अन्दर शासन को अनुपालन आख्या भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरीश चन्द्र)
प्रमुख सचिव

संख्या-1046(1)छः:नासु-04-71 होगा/2004, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उ०प्र०।
6. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(हरीश चन्द्र)
प्रमुख सचिव

संख्या-217/छ:नासु-05-390 होगा०/97

प्रेषक,

प्रीतम सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

गृह (नागरिक सुरक्षा) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 14 फरवरी, 2005

विषय- विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/संस्थाओं एवं प्रमुख आद्यौगिक क्षेत्र/बाजार तथा निजी संस्थानों में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर प्रशिक्षित होमगार्डस स्वयं सेवकों की तैनाती क्रिये जाने के संबंध में।

महोदय,

होमगार्डस संगठन के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/संस्थाओं में निर्धारित ड्यूटी भत्ते पर सुरक्षा गार्डस की हैसियत से तैनात करने विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1336/छ:नासु-2001-390 होगा/97, दिनांक- 23 जुलाई, 2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को सम्बोधित तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको पृष्ठांकित है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस विभाग एक वर्दीधारी संगठन है। विभाग के होमगार्डस स्वयंसेवक भली-भांती प्रशिक्षित एवं आर्म्स ट्रेंनिग प्राप्त हैं। वर्तमान में होमगार्ड स्वयंसेवकों की सेवायें पुलिस विभाग में शान्ति व्यवस्था, ट्रेफिक ड्यूटी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में तथा अन्य कई संस्थाओं/विभागों यथा-टेलीफोन विभाग, मतस्य विभाग, यातायात विभाग, परिवहन विभाग आदि में उनकी मांग के अनुरूप उपलब्ध करायी हा रही है।

3. इसी क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्थाओं/विभागों में होमगार्डस स्वयंसेवकों द्वारा सुरक्षा गार्डस के रूप में उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निजी संस्थाओं में भी सुरक्षा गार्डस के रूप में होमगार्डस के रूप में होमगार्डस विभाग के प्रशिक्षित स्वयंसेवाकों को निर्धारित ड्यूटी भत्ते पर लेने हेतु कृपया अपने स्तर से प्रयास करने का कष्ट करें। इससे एक ओर जहां प्रशिक्षित होमगार्डस स्वयं सेवकों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध होगा, वहीं सम्बंधित संस्थाओं को भी प्रशिक्षित गार्डो की विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था का लाभ प्राप्त होगा।

कृपया तद्‌दनुसार निर्देशों का अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रीतम सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या-217(1)/छ:नासु-05-390 होगा/97, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस, उ०प्र० लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रीतम सिंह)
प्रमुख सचिव।

होमगार्डस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 2300 /लेख17 एक-635/1986 दि०: नवम्बर 02, 2007

समस्त जिला कमाण्डेण्ट,

होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश

मुख्य सचिव, उतार प्रदेश शासन के पत्र सख्या 1330/छ:नासु-2001-390होगा/97, दि० 23-07-2001 एवं शासनादेश संख्या गृह (नासु), दिनोंक 14-10-2005 के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/संस्थाओं एवं प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रो/बाजार तथा निजी संस्थाओं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर प्रशिक्षित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की तैनाती किये जाने विषयक निर्देश दिये गये है। वर्तमान में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की सेवायें पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य कई संस्थाओं/विभागों यथा-टेलीफोन विभाग, मत्स्य विभाग में उनकी मांग के अनुरूप उपलब्ध करायी जा रही है। शासनादेश दिनाँक 14-02-2005 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये है कि निजी संस्थाओं में भी सुरक्षा गार्डस के रूप में होमगार्ड्स विभाग के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को निर्धारित ड्यूटी भत्ते पर लेने हेतु वे अपने स्तर से प्रयास करें।

2- चूंकि होमगार्ड्स की कुल संख्या के सापेक्ष इतनी ड्यूटी कानून-व्यवस्था इत्यादि के कार्यों में नहीं लग पाती, जिससे स्वयंसेवकों को आशानुकूल कार्य मिल सके। अतः आपके स्तर से अपेक्षित है कि आप उक्त प्रकृति की डियुटियों को बढ़ाये जाने हेतु अपने-अपने गण्डल/जनपद में विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करके अधिक डियुटियों लगाये जाने की सम्भावनाओं को देखें।

3- इस गुख्यालय से निर्गत पूर्व आदेशों के अनुसार यह डियुटियों अब तक होमगार्डस मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही लगायी जाती थी।

4- इस सम्बन्ध में समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इरा व्यवस्था को विकेन्द्रीयकृत कर दिया जाये। <u>तदनुसार यह आदेश दिये जाते हैं कि इस प्रकार की डियुटियों, जिनमें भुगतान सम्बन्धित संस्थाओ द्वारा किया जाना है एवं शासकीय बजट पर कोई व्ययभार नहीं है, में डियुटी स्वीकृत करने का प्राधिकार मण्डलीय कमाण्डेन्ट में निहित रहेगा।</u>

5- जहाँ तक निजी संस्थानों में डियुटी लगाने का प्रश्न है, यह एक संवेदनशील मामला है तथा इसमें बहुत

ही सावधानी की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश, परीक्षणोपरान्त, बाद में प्रेषित किये जायेगें।

6- फिलहाल निजी क्षेत्र के बड़े-बड़े गोदामों, निजी क्षेत्र की बड़ी फैक्ट्रियों, तथा बड़े शॉपिंग मॉल्र पर मॉग आने पर स्वयंसेवकों की तैनाती करने पर आप अपने स्तर से विचार कर सकते हैं। ऐसे स्थानों पर वास्तविक आवश्यकता की तुलना में कम संख्या में होमगार्ड्स लगाये जायेंगे तो समस्यायें आ सकती है। ऐसे स्थानों पर डियूटी लगाने से पूर्व संस्थान के किसी प्रतिनिधि के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करके आवश्यकता का सही आंकलन किया जाये एवं तदनुसार आवश्यक संख्या का निर्धारण किया जाये। संख्या निर्धारण करने का दायित्व जिला समादेष्टा का होगा।

7- यह सुनिश्चित किया जाये कि होमगार्डस स्वयंसेवकों को व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु कदापि न लगाया जाये।

8- जहाँ तक उक्त प्रकार की डियुटियों के भत्तों के भुगतान का प्रश्न है इस सम्बन्ध में इस गुख्यालय से पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को निरस्त करते हुये ये आदेश दिये जाते है कि फ्लैट रेट पर रू०-110/- का भुगतान सम्बन्धित संस्थानों से, चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यरा से प्राप्त किया जायेगा एवं अन्य कोई शर्त नहीं लगायी जायेगी।

9- सम्वन्धित संस्थानों से समय से भुगतान प्राप्त करने का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, जिला कमाण्डेण्ट का होगा।

(जी०एल०शर्मा)
कमाण्डेण्ट जनरल

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्डस, आगरा / इलाहाबाद परिक्षेत्र।

2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

संख्या:4672/छ:नासु-07-300होगा/07

प्रेषक,

गिरिराज प्रसाद वर्मा,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा, होमगार्ड्स,

उ०प्र०, लखनऊ।

गृह (नागरिक सुरक्षा) अनुभाग, लखनऊ, दिनांक : 14 दिसम्बर, 2007

विषय: पुलिस बल के सहायतार्थ अतिरिक्त 25,000 होमगार्डस उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पार्श्वंकित शासनादेशों तथा समय-समय पर निगर्त अन्य सुसंगत शासनादेशों के

1. शासनादेश सं० 1020/छः नासु-94-289 होगा /90 दिनांक 18 मार्च 1994
2. शासनादेश सं० 4552/छः नासु-94-289 होगा /90 दिनांक 07 अप्रैल 1995
3. शासनादेश सं० 680/छ: नासु-98-289 होगा/90 दिनांक 27 फरवरी 1998
4. शासनादेश सं० 1831/ छः नासु-05-300 होगा/01 दिनांक 04 अगस्त. 2005

द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन (डिप्लायमेन्ट) के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये थे।

2. वर्तमान में होमगार्ड्स की आवश्यकता को देखते हुये उपर्युक्त शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्था के अतिरिक्त 25,000 होमगार्ड्स, जिनका प्रतिस्थापन (डिप्लायमेन्ट) सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं जिनका वे आवश्यकतानुसार निम्नलिखित कार्यों हेतु उपयोग कर सकेंगे :-

(क) धार्मिक स्थलों एवं महापुरूषों की मूर्तियों पर राउण्ड दि क्लाक तैनांती।

(ख) महत्वपूर्ण स्मारकों पर सुरक्षा हेतु तैनाती।

(ग) महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों पर सुरक्षा हेतु तैनाती।

(घ) सभी जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के परिसर के अन्दर सुरक्षा हेतु तैनाती।

(ड) मा० उच्च न्यायालय परिसर इलाहावाद/लखनऊ खण्डपीठ में आवश्यकतानुसारतैनाती।

(च) मेले अथवा खास पर्वो जैसे स्नान आदि के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनाती।

3. उपर्युक्त 25,000 होमगार्ड्स की तैनाती के सम्बन्ध में शासन / होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा पूर्व में जारी सुसंगत सभी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-107-होमगार्ड्स आयोजनेत्तर-03-सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 02-मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश गृह (पुलिस) अनुभाग-1 की पत्रावली संख्या-150 (44)/2007 में प्राप्त उनकी सहमति के उपरांत वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1987/ दस दिनांक 14 दिसम्बर 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिराज प्रसाद वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या (1) / छःनासु-07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ को उनके गृह विभाग को सम्बोधित पत्र संख्या-डी०जी०-4-110 (557) / 2007 दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित की उक्त होमगार्डस की तैनाती आपके उक्त प्रेषित पत्र के साथ संलग्न सूची/प्रस्ताव के अनुसार की जायेगी तथा इनका अन्यत्र उपयोग नहीं किया जायेगा।
3. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सगस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० ।
9. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट / जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उ०प्र० ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी०एन० सिंह)
विशेष सचिव

होमगार्डस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र सं० 1124/ लेखा/सात-414/2005 दिनांक: जुलाई 19, 2008

समस्त जिला कमाण्डेन्ट, उत्तर प्रदेश

विषय:- विभिन्न जनपदों में होमगार्डस की स्वीकृत संख्या में परिवर्तन

इस मुख्यालय के पत्र संख्या- 2692/लेखा/सात-414/2005 दिनांक दिसम्बर 15, 2007 के माध्यम से शासनादेश सं०-4672/(1)/छ:नासु-07 दिनांक 14-12-2007 के परिपेक्ष्य में विभिन्न जनपदों में अतिरिक्त स्वीकृत 25000 होमगार्डस का वितरण आदेशित किया गया था। डी०जी०पी० मुख्यालय से प्राप्त पत्र सं० डीजी-8-246(165)/2007 दिनांक लखनऊ जून 29, 2008 के परिप्रेक्ष्य में इस मुख्यालय द्वारा निर्गत पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुए विभिन्न जनपदों में होमगार्डस का प्रतिस्थापन अब निम्न प्रकार आदेशित किया जाता है:-

क्र०सं०	जनपद	स्वीकृत होमगार्डस				जनपद में स्वीकृत होमगार्डस की कुल संख्या
		आयुक्त कोटा	डी०एम० कोटा	पु०अ० कोटा	डीजीपी रिजर्व से यातायात ड्यूटी	
1.	लखनऊ	300	700	500	150	1650
	डीजीपी रिर्जव (लखनऊ जनपद)	-	-	-	-	900
2.	हरदोई	100	200	400	-	700
3.	सीतापुर	100	200	400	20	720
4.	खीरी	100	200	400	-	700
5.	रायबरेली	100	200	400	10	710
6.	उन्नाव	100	200	400	20	720
7.	फैजाबाद	200	500	500	20	1220
8.	अम्बेडकर न०	100	200	400	-	700
9.	सुल्तानपुर	100	200	400	10	710
10.	बाराबंकी	120	240	400	20	780
11.	गोण्डा	50	120	400	-	570
12.	बलरामपुर	50	80	150	-	280
13.	बहराइच	50	120	400	-	570
14.	श्रावस्ती	50	80	150	-	280
15.	आगरा	300	700	500	100	1600
16.	अलीगढ	125	450	500	20	1095
17.	हाथरस	75	150	150	-	375
18.	मथुरा	150	300	400	-	850
19.	एटा	50	100	250	-	400

20.	काशीराम नगर	50	100	150	-	300
21.	मैनपुरी	100	200	400	-	700
22.	फिरोजाबाद	100	200	400	-	700
23.	कानपुर न०	300	850	500	150	1800
24.	कानपुर दे०	100	350	150	-	600
25.	इटावा	100	200	400	-	700
26.	औरैया	100	200	150	-	450
27.	फतेहगढ	50	120	150	-	320
28.	कन्नौज	50	80	150	-	280
29.	इलाहाबाद	250	550	500	100	1400
30.	कौशाम्बी	50	150	150	-	350
31.	फतेहपुर	100	200	400	-	700
32.	प्रतापगढ	100	200	400	-	700
33.	वाराणसी	200	550	500	100	1350
34.	चन्दौली	100	200	150	-	450
35.	गाजीपुर	100	200	400	-	700
36.	जौनपुर	100	200	150	-	450
37.	मेरठ	175	550	500	50	1275
38.	बागपत	50	150	150	-	350
39.	बुलन्दशहर	50	200	400	-	650
40.	गाजियाबाद	150	150	500	50	850
41.	गौ०बु०न०	50	100	500	50	700
42.	मुजफ्फर न०	100	200	500	-	800
43.	सहारनपुर	100	200	400	-	700
44.	मुरादाबाद	125	450	500	20	1095
45.	ज्यो०फु०	75	150	400	-	625
46.	बिजनौर	100	200	400	-	700
47.	रामपुर	100	200	150	-	450
48.	बरेली	200	600	500	20	1320
49.	बदायूँ	100	200	400	-	700
50.	पीलीभीत	100	200	150	-	450
51.	शाहजहाँपुर	100	200	400	-	700
52.	बस्ती	50	120	400	20	590
53.	संतकबीर न०	50	80	150	10	290

54.	सिद्धार्थनगर	100	200	150	10	460
55.	गोरखपुर	200	600	500	20	1320
56.	देवरिया	100	200	400	10	710
57.	महाराजगंज	100	200	150	-	450
58.	कुशीनगर	100	200	150	-	450
59.	आजमगढ	100	200	500	-	800
60.	मऊ	100	200	400	-	700
61.	बलिया	100	200	150	-	450
62.	मिर्जापुर	100	250	400	-	750
63.	सोनभद्र	100	200	150	-	450
64.	सं०रवि०न०	100	200	150	-	450
65.	बांदा	100	200	400	-	700
66.	चित्रकूट	100	200	-	-	300
67.	हमीरपुर	100	200	150	-	450
68.	महोबा	100	200	150	-	450
69.	झांसी	100	300	400	-	820
70.	जालौन	100	200	150	-	450
71.	ललितपुर	100	200	150	-	450
		7745	17590			
	कुल संख्या	25335		25000	1000	50335

2- लखनऊ जनपद में वांछित कुल 2450 होमगार्डस (1650 जनपदीय कोटा तथा 900 डी०जी०पी० रिजर्व) की आपूर्ति विभिन्न जनपदों से निम्नानुसार की जायेगी-

1-	जनपद लखनऊ	1300
2-	जनपद बाराबंकी	400
3-	जनपद सीतापुर	250
4-	जनपद हरदोई	250
5-	जनपद उन्नाव	150
6-	जनपद रायबरेली	100
	कुल संख्या	2450

3- जनपद काशीराम नगर के लिए होमगार्ड उपलब्ध कराने के लिये जनपद एटा हेतु उपलब्ध करायी गयी जनशक्ति में से होमगार्डस आबंटित करने हेतु शासन को संदर्भित किया जा रहा है।

4- सभी जिला कमाण्डेन्ट सुनिश्चित करें कि उपरोक्त वितरण के अनुसार होमगार्डस सभी जनपदों को दिनांक 24-7-2008 तक उपलब्ध हो जायें। लखनऊ मण्डल के सभी जिला कमाण्डेन्ट तथा जिला कमाण्डेन्ट बाराबंकी नव वितरण के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(जी०एल०शर्मा)
कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्डस

प्रतिलिपि-

1. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्टों को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तथा इस आशय से कि वे इस आदेश की अतिरिक्त प्रतियां कराकर सभी जिला कमाण्डेन्टों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. मुख्यालय के समस्त अधिकारियों एवं संबंधित अनुभाग को।
3. गार्ड फाइल पर रखने हेतु।

(जी०एल०शर्मा)
कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्डस

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

होमगार्ड अनुभाग लखनऊ दिनाकः 15 जून, 2009

विषय- विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर प्रशिक्षित होमगार्डस स्वयंसेवकों को तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव के शासनादेश संख्या-1336/छ:नासु-2001-390होगा/ 97, दिनांक 23 जुलाई, 2001 एवं शासनादेश संख्या-217/छ: नासु-05-390होगा/ 97, दिनांक 14 फरवरी, 2005 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जो सार्वजनिक उद्यमों/निगमों संस्थाओं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर प्रशिक्षित होमगार्डस स्वयंसेवकों की तैनाती के सम्बन्ध में है।

2. होमगार्डस विभाग शासन का एक वर्दीधारी संगठन है तथा होमगार्डस स्वयंसेवकों को ड्यूटी सुरक्षा आदि के निमित्त लगायी जाती है। होमगार्डस स्वयंसेवक पांच दशकों से जिला प्रशासन का अभिन्न अंग रहते हुए निरन्तर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर रहे हैं। वर्तमान में इनकी सेवाओं का उपयोग पुलिस विभाग में शान्ति व्यवस्था, ट्रैफिक ड्यूटी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लिया जाता उक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों / संस्थाओं यथा मत्स्य विभाग, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बैंक, परिवहन, चीनी मील, इंजीनियरिंग कालेज, विश्वविधालय, मेडिकल कालेज, विद्युत विभाग, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों आदि को भी उनकी मांग के अनुरूप चुस्त एवं अनुशासित होमगार्डस स्वयंसेवकों की सेवायें सुचारू रूप से उपलब्ध करायी जा रही हैं। यही नहीं बल्कि भारत सरकार के उपक्रम यथा दूरदर्शन, एफ० सी० आई एवं टेलीफोन विभाग में भी होमगार्डस स्वयंसेवकों

अपनी सेवायें सुचारू रूप से उपलब्ध करायी जा रही हैं। होमगार्डस संगठन में ड्राइवर, चौकीदार, टाइपिंग व कम्प्यूटर इत्यादी ट्रेंड में प्रशिक्षित होमगार्डस स्वयंसेवक प्रयाप्त संख्या में उपलब्ध हैं। अत: आवश्यकतानुसार इनकी सेवायें भी ली जा सकती हैं।

3.इस संबंध में अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ विभिन्न सार्वजनिक सार्वजनिक उद्यमों/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान यथासम्भव होमगार्डस स्वयंसेवकों की सेवायें लिये जाने हेतु कृपया अपने अधीनस्थ संबंधित विभागाध्यक्षों, अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्राइवेट सुरक्षा गार्डस के स्थान पर होमगार्डस स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर नियोजित करने से एक तरफ संबंधित विभाग के लिए

चुस्त एवं अनुशासित/प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी उपलब्ध होंगे वहीं दूसरी ओर अधिकाधिक होमगार्डस स्वयंसेवकों स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर नियोजन का अवसर प्राप्त होगा।

4.उल्लेखनीय है कि होमगार्डस विभाग के प्रशिक्षित होमगार्डस स्वयंसेवकों की देय प्रतिदिन व्यवसायिक ड्यूटी भत्ता प्रतित्पधित्मक एवं मितव्ययितापूर्ण है।

5. इस संबंध में विभाग/संबंधित संस्थायें महासमादेष्टा, होमगार्डस अथवा मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्डस/जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस को होमगार्डस स्वंयसेवकों की मांग प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या-2197/छः नासु-09-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस निदेश के साथ कि वह कृपया इस सम्बंध में निर्देश अपने स्तर से भी निर्गत करने का कष्ट करें।
2. महासमादेष्टा, होमगार्डस, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मण्डलीय कमाण्डेन्ट एवं जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस को इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,

मख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

होमगार्ड अनुभाग लखनऊ दिनाकः 23 जून, 2009

विषय- विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर प्रशिक्षित होमगार्डस स्वयंसेवकों/ निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ०प्र०/उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सम्बद्ध पूर्व सैनिकों की अनिवार्य रूप से तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव के शासनादेश संख्या-1336/छ:नासु-2001-390होगा/ 97, दिनांक 23 जुलाई, 2001 एवं शासनादेश संख्या-217/छ: नासु-05-390होगा/ 97, दिनांक 14 फरवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या-2197/छ: नासु-09-390 होगा/97 दिनांक 15 जून, 2009 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जो सार्वजनिक उद्यमों/निगमों संस्थाओं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर प्रशिक्षित होमगार्डस स्वयंसेवकों की तैनाती के सम्बन्ध में है।

2. होमगार्डस विभाग शासन का एक वर्दीधारी संगठन है तथा होमगार्डस स्वयंसेवकों को ड्यूटी सुरक्षा आदि के निमित्त लगायी जाती है। होमगार्डस स्वयंसेवक पांच दशकों से जिला प्रशासन का अभिन्न अंग रहते हुए निरन्तर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर रहे हैं। वर्तमान में इनकी सेवाओं का उपयोग पुलिस विभाग में शान्ति व्यवस्था, ट्रैफिक ड्यूटी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लिया जाता उक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों/संस्थाओं यथा मत्स्य विभाग, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बैंक, परिवहन, चीनी मील, इंजीनियरिंग कालेज, विश्वविधालय, मेडिकल कालेज, विद्युत विभाग, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों आदि को भी उनकी मांग के अनुरूप चुस्त एवं अनुशासित होमगार्डस स्वयंसेवकों की सेवायें सुचारू रूप से उपलब्ध करायी जा रही हैं। यही नहीं बल्कि भारत सरकार के उपक्रम यथा दूरदर्शन, एफ० सी० आई एवं टेलीफोन विभाग में भी होमगार्डस स्वयंसेवकों अपनी सेवायें सुचारू रूप से उपलब्ध करायी जा रही हैं। होमगार्डस संगठन में ड्राइवर, चौकीदार, टाइपिंग व कम्प्यूटर इत्यादी ट्रेंड में प्रशिक्षित होमगार्डस स्वयंसेवक प्रयाप्त संख्या में उपलब्ध हैं। अत: आवश्यकतानुसार इनकी सेवायें भी ली जा सकती हैं। इसी प्रकार निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास/उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्व सैनिकों पर आधारित सुरक्षा /तकनीकी सेवायें विभिन्न संस्थाओं को प्रदान की जा है, जिसके अन्तर्गत सशस्त्र गार्ड विभिन्न अति संवेदनशील स्थानों जैसे तेल संयत्रो, गैस पाइप लाइनों, बैंकों, कोषागारों, डाकघरों एवं टेलीफोन एक्सचेंजों सहित अन्य महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा में लगे हैं। अतः इनकी तैनाती भी उपरोक्त उपक्रमों में ली जा सकती है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे एह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में सुरक्षा गार्डस की आवश्यकता होने पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर अनिवार्य रूप से होमगार्डस स्वयंसेवकों/निर्देशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास/उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सम्बद्ध पूर्व सैनिकों की सेवायें लिये जाने हेतु अपने अधीनस्थ सम्बन्चित विभागाध्यक्षों, अध्यक्षों तथा प्रबन्ध निदेशकों को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्राइवेट सुरक्षा गार्डस के स्थान पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/निदेशक, सैनिक कल्याण/उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सम्बद्ध पूर्व, सैनिकों को ड्यूटी पर नियोजित करने से जहां एक तरफ सम्बन्धित विभाग के लिए चुस्त एवं अनुशासित/ प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी उपलब्ध होंगे, वही दूसरी ओर अधिकाधिक होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/पूर्व सैनिकों को ड्यूटी पर नियोजन का अवसर प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि होमगार्ड्स विभाग के प्रशिक्षित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को देय प्रतिदिन व्यवसायिक ड्यूटी भत्ता प्रतिस्पर्धात्मक एवं मितव्ययतापूर्ण है। इसी प्रकार निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास/उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सम्बद्ध पूर्व सैनिक भी संविदा पर निर्धारित दरों पर उपलब्ध है।

4. इस सम्बन्ध में विभाग/सम्बन्धित संस्थायें महासमादेष्टा, होमगार्ड्स अथवा मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स/जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स को होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की मांग प्रेषित कर सकते हैं। इसी प्रकार निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास/प्रबन्धक निदेशक, उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से पूर्व सैनिकों की मांग की जा सकती है। इस सम्बन्ध में होमगार्ड्स मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ एवं सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय/उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड द्वारा असमर्थता व्यक्त किये जाने की दशा में ही सम्बन्धित संस्थायें प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को तैनात कर सकेंगी।

5. उक्त प्रतिष्ठानों में होमगार्डस स्वयंसेवकों / निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास/उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम से सम्बद्ध पूर्व सैनिकों की तैनाती किये जाने के फलस्वरूप उनके कुशल पर्यवेक्षण हेतु नियमानुसार निर्धारित संख्या के अनुसार पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की तैनाती भी की जायेगी, जो स्वयंसेवकों/पूर्व सैनिकों से कुशल कार्य सम्पादन कराने तथा संबंधित संस्था की सुरक्षा हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

6. उपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
मुख्य सचिव।

संख्या-2224(1)/छः नासु-09-तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस निदेश के साथ कि वह कृपया इस सम्बंध में निर्देश अपने स्तर से भी निर्गत करने का कष्ट करें।

3. महासमादेष्टा, होमगार्डस, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मण्डलीय कमाण्डेन्ट एवं जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस को इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम/ निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ०प्र० लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्याः 3346 / लेखा/सात-276/2003, (पार्ट-1) दिनांक जून 28, 2009

प्रेषित,

1-डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल होमगार्डस, आगरा / इलाहाबाद

2-समस्त गण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उत्त्तर प्रदेश।

3-समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

4-नगर कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, लखनऊ।

5-समस्त कमाण्डेण्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

विषयः विभिन्न सार्वजनिक उद्यगों / स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के स्थान पर प्रशिक्षित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों / निर्देशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उ०प्र०/उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निमग से सम्बद्ध पूर्व सैनिकों की अनिवार्य रूप से तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः 2224/छ-नासु-09-390 होगा /97, दिनांक 23-6-2009 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त शासनादेश की छायाप्रतियां कराकर जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को अपने स्तर से भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

2- जिला कमाण्डेण्ट अपने जनपद से सम्बन्धित विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों / स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं के प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करें एवं उक्त शासनादेश की प्रति उन्हें उपलब्ध कराते हुये होमगार्डस के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा निर्धारित की गयी अर्हतायें यथा डियूटी भत्ता व अन्य के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपलब्ध करायें। होमगार्डस की डियूटी हेतु संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गयी माँग के सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित परिपत्रों में निहित प्रक्रिया के अनुसार बिना शस्त्र के होमगार्डो के प्रतिस्थापन हेतु डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट से एवं सशस्त्र होमगार्डस के प्रतिस्थापन हेतु होमगार्डस मुख्यालय से अनुमति प्राप्त कर जिला कमाण्डेन्ट द्वारा होमगार्डस का प्रतिस्थापन करायेंगे।

3- इस प्रकार प्रतिस्थापित किये गये होमगाडों की संख्या एवं प्रतिस्थान की सूचना मण्डलीय कगाण्डेण्ट एवं मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(एस० एन० चक)
कमाण्डेन्ट जनरल।

प्रतिलिपिः-

1- प्रमुख सचिव, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश शासन को शासन के पत्र सं0-2287/छ:-ना०सु०-09-390 होगा /97 होमगार्डस अनुभाग, लखनऊ, दिनांक 23-6-09 के अनुकम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2- डि०क०ज०, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्डस, लखनऊ,

3- मुख्यालय के समरत राजपत्रित अधिकारियों को।

(एस० एन० चक)
कमाण्डेन्ट जनरल।

संख्या-2943/छ:नासु09-138 होगा/97

प्रेषक,

आलोक रंजन,

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. महासमादेष्टा,
   होमगार्डस, उ०प्र०
   लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०
3. समस्त डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
   होमगार्डस, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट
   होमगार्डस, उ०प्र०

होमगार्डस, अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 24 अगस्त 2009

विषय: होमगार्डस स्वयंकसेवकों को रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाये जाने के संबंध में दिशानिर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रोस्टर प्रणाली के सबंध में एक को ड्यूटी के समान अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से होमगार्डस स्वर सेवकों को ड्यूटी निम्नांकित प्रकार से नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

2. राज्य के प्रत्येक गण्डल के एक-एक जनपद का चयन कर वहाँ रोस्टर कम आप्सन के प्रायोगिक व्यवस्था लागू की गयी है. जो वर्तमान में चलती रहगी। प्राप्त परिणामों की समीक्षा के उपरान्त यदि आवश्यकता पायी जाती है तो तत्समय पृथक से यथोचित आदेश जारी किये जाएंगे।

3. होमगार्ड्स स्वयंसेवको की ड्यूटियों का प्रतिस्थापन भविष्य में कम्प्यूटर द्वारा रोस्टर से किय जायेगा। इसके लिये महासमादेष्टा होमगार्डस द्वारा नियमानुसार साफ्टवेयर तैयार कराया जायगा साफ्टवेयर तैयार होने के पश्चात् होमगार्डस स्वयंसेवको की ड्यूटियो का प्रतिस्थापन साफ्टवेयर माध्यम से ही किया जायेगा और इसे आनलाइन कर दिया जायेगा। इस प्रकार कम्प्यूटर से ड्यूटियों के प्रतिस्थापन में लगभग 3-4 माह का समय लगेगा। तदन्तर समस्त प्रकार की ड्यूटियों का प्रतिस्थापन साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना होगा। इससे जहां एक ओर पारदर्शी विधि से ड्यूटिया का प्रतिस्थापन होगा, वहीं दूसरी ओर होमगार्ड्स भी अपनी ड्यूटी के बारे में पूरी सूचना कम्प्यूटर से कहीं से कभी भी प्राप्त कर सकेंगे।

4. होमगार्डस स्वंयसेवकों हेतु रोस्टर प्रकिया का निर्धारण तीन-तीन माह के स्थान पर एक माह हेतु किया जाएगा एव तदनुसार उन्हें ड्यूटी पर नियोजित किया जाऐगा।

5. समस्त होमगार्डस को ड्यूटी के समान अवसर इस प्रकार दिये जाएगे जिससे सम्बन्धित जनपद में निर्धारित औसत ड्यूटी प्रतिस्थापन की व्यवस्था अक्षुण बनी रह अर्थात संबंधित जनपद में होमगार्डस स्वयंसेवक को जितने माह की औसतन ड्यूटी मिलनी चाहिए, वह उसे प्राप्त हो। पारदर्शिता की दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि होमगार्ड्स स्वंयसेवक को कम्पनी वार क्रमांक व संबंधित जनपद का ड्यूटी प्रतिशत बत्ता दिया जाय और ड्यूटी चार्ट अवलोकनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाय तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

6. शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले विभिन्न अधिकारियों के यहाँ सम्बद्ध किये जाने होमगार्डस स्वयंसेवकों की मानक अधिकतम संख्या निम्नवत निर्धारित को जाती है-

1. मण्डलायुक्त -09
2. अपर आयुक्त (प्रशासन) -06
3. जिलाधिकारी -09
4. नगर मजिस्ट्रेट -09
5. अपर जिलाधिकारी
   (जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी -03
   एक अपर जिलाधिकारी का)
6. प्रति उपजिलाधिकारी -03
7. प्रति तहसील -03
   (जिलाधिकारी के निवर्तन पर)
8. मण्डलीय कमाण्डेण्ट -08
9. जिला कमाण्डेण्ट -06

यदि उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी अन्य राजस्व अधिकारी, जो शान्ति व्यवस्था का काम देखता है, को होमगार्डस स्वयंसेवकों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता पड़ती है. तो अपरिहर्य परिस्थितियों में उसके लिए जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त अपने निर्धारित प्रतिस्थापन की अधिकतम संख्या के अन्दर उन्हें होमगार्ड्स सुलभ करा सकते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि राजपत्रित श्रेणी ।। के स्तर के कम के अधिकारी के साथ होमगार्ड्स स्वयं सेवक नहीं लगाये जायेंगे तथा सुरक्षा हेतु लगाये गये होमगार्डस स्वयंसेवको का अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा। उक्त विभिन्न अधिकारियों के यहां लगने वाले होमगार्डस को उनके द्वारा चिन्हित होमगार्ड्स में से ड्यूटी लगायी जाएगी और किसी भी होमगार्डस वो संबंधित जनपद की औसत ड्यूटी से अधिक ड्यूटी नहीं हीं दी जाएग इस हेतु प्रशासनिक अधिकारियों के यहां तैनात होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवको का जनपद में मिलने वाली ड्यूटी के अनुसार उनकी औसत संख्या का एक पूल बना लिया जायेगा और उस पूल से ही आवश्यकतानुसार होमगार्डस स्वयं सेवक लगाये जायेंगें, किन्तु रोस्टर का अनुपालन प्रत्येक दशा अनिवार्य होगा। संबंधित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त अपने स्तर पर सतत अनुश्रवण करते रहेंगे।

7. ट्रैफिक ड्यूटी व सशस्त्र ड्यूटी के लिए होमगार्डस स्वयंसेवकों का जनपद की औसत ड्यूटी संख्या के अनुसार रोस्टर के अनुसार ही ड्यूटी लगायी जाएगी।

8. आकस्मिक ड्यूटियां रोस्टर के अनुसार ही लगायी जायेगी लेकिन यदि तात्कालिक आकस्मिकता की स्थिति पैदा होती है, तो विचलन की स्थिति सकारण अभिलिखित कर अभिलेखों सहित शासन/महासमादेष्टा से कार्योत्तर स्वीकृ ते प्राप्त की जाएगी। उक्त विचलन नितांत अपरिहार्य स्थितियों में ही की जायेगी और तात्कालिक रूप से संबंधित जिलाधिकारी के संज्ञान में लाकर और उनकी अनुमति से ही ऐसा किया जाएगा।

9. रोस्टर में पारदर्शिता ले दृष्टिगत आवश्यक हैं कि एक कम्पनी क्षेत्र में उसी कम्पनी के होमगार्डस ड्यूटी पर नियोजित किये जांय किन्तु आवश्यकतानुसार रोस्टर का अनुपालन करते हुए जनपद की किसी भी इकाई में इनकी ड्यूटी लगायी जा सकती है।

10. महासमादेष्टा होमगार्ड्स द्वारा पूर्ववत् मांग के अनुरूप अतिरिक्त होमगार्ड्स का प्रतिस्थापन किया जाता रहेगा।

11. शासनादेश सं0 4672/छ: नासु-07-300 होगा/07 दि० 14 दिसम्बर 2007 द्वारा पुलिस बल व सहायतार्थ अतिरिक्त 25,000 होम राईस का प्रतिस्थापन उक्त शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप ही होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

12. उपर्युक्त सभी प्रकार की ड्यूटियां शासन द्वारा निर्धारित व स्वीकृत संख्या की सीमा के अन्तर्ग ही लगायी जायेंगी और इससे अधिक प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं होगी।

13. रोस्टर के संबंध में समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझें जायेगें। उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय !

भवदीय

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव

संख्या-3867/छ:नासु09-138 होगा/97

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. महासमादेष्टा,
   होमगार्डस, उ०प्र०
   लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र०
3. समस्त डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
   होमगार्डस, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट
   होमगार्डस, उ०प्र०

होमगार्डस, अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 18 नवम्बर 2009

विषय: रोस्टर संबंधी शासनादेश दि० 24.08.09 में आंशिक संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- संख्या-2943/छ:नासु09-138 होगा/97 दिनांक 24 अगस्त, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों की मानक संख्या निर्धारित की गयी थी।

2. इस संबंध में विभिन्न जिलाधिकारियों के यहां से प्राप्त अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दि० 24.08.09 के प्रस्तर-6 में प्राविधानित उक्त व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले विभिन्न अधिकारियों के साथ होमगार्डस स्वयंसेवकों को सम्बद्ध किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 1389/छ: नासु-99-220होगा/95(1)दि० 15.05.1999 द्वारा निर्धारित की गयी पूर्व व्यवस्था को यथावत/पूर्ववत् लागू रखा जाय। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होमगार्डस के नियोजन हेतु जिलाधिकारी को आवश्यकतानुसार मितव्ययिता को देखते हुए अत्यन्त न्यून संख्या में एवं अपनी प्राधिकृत सीमा के अर्न्तगत होमगार्डस का प्रतिस्थापन करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है किन्तु सभी होमगार्डों को ड्यूटी के समान अवसर दिये जाने हेतु प्रत्येक दशा में रोस्टर का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. रोस्टर संबंधी शासनादेश संख्या 2943/छ: नासु-09-138होगा/97 दि० 24.08.09 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें तथा प्राविधान पूर्ववत् प्रभावी रहेगें।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय
(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव

द्वारा विशेष वाहक/तत्काल

होमगार्डस मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या 2450/लेखा/सात-258/2010 दिनांकः दिसम्बर 01, 2011

प्रेषित,

1-डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल,
होमगार्ड्स, इलाहाबाद/आगरा।

2-समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट,
होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

3-समस्त जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

विषयः- सार्वजनिक प्रतिष्ठान/निगम/उपक्रम/शासकीय कार्यालयों आदि की सुरक्षा हेतु भुगतान के आधार पर सशस्त्र होमगार्डस का प्रतिस्थापन।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शासकीय कार्यालयों, निगमों आदि की सुरक्षा ड्यूटियों पर पूर्व से प्रतिस्थापित सशस्त्र होमगार्डस की उन ड्यूटियों की जिनकी स्वीकृति होमगार्ड्स मुख्यालय स्तर से प्रदत्त नहीं रही है तथा जो ड्यूटियां स्वीकृति की प्रत्यासा में नियोजित की जाती रही है, के नियोजन की कार्योत्तर स्वीकृति कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उ०प्र० द्वारा प्रदान कर दी गयी है। आगामी माहों में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर प्रतिस्थापित होने वाले सशस्त्र होमगार्ड्स की ड्यूटी के प्रतिस्थापन को निम्नलिखित शर्तों के अधीन ड्यूटी प्रतिस्थापन के आदेश दिये गये हैं:-

1- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत होमगार्ड्स मुख्यालय के परिपत्र संख्याः पन्द्रह-573/1984, दिनांक 14 अगस्त, 1984 एवं उक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा जारी अन्य परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से परिपालन किया जायेगा।

2- सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर नियोजित होने वाले सशस्त्र होमगार्ड्स के प्रतिस्थापन की स्वीकृति डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, आगरा/इलाहाबाद तथा समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने नियन्त्रणाधीन इकाईयों में उनकी मॉग पर निःशस्त्र होमगार्डस की भाँति उनके स्तर से प्रदान की जायेगी।

3- ड्यूटी स्थल का भली-भाँति निरीक्षण एवं शस्त्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स भुगतान के आधार पर सशस्त्र ड्यूटी सम्बन्धी मॉग पत्र स्वीकृताधिकारी को प्रेषित करेंगे। ड्यूटी की स्वीकृति से पहले डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट इस पर निश्चित रूप से संतुष्ट हो लेंगे कि उक्त ड्यूटी हेतु प्रयुक्त होने वाले शस्त्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गयी है तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि उक्त शस्त्रों का दुरुपयोग नहीं होगा। शस्त्रों की सुरक्षा तथा उनके दुरूपयोग न किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला कमाण्डेण्ट एवं डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट की होगी।

4- सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/शासकीय कार्यालयों/निगमों आदि में सशस्त्र होमगार्ड्स की राउण्ड द क्लाक सुरक्षा ड्यूटी के दृष्टिगत किसी भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/शासकीय कार्यालय/निगम आदि को 06 सशस्त्र होमगार्ड्स से कम संख्या में होमगार्ड्स अनुमन्य/स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

5- व्यक्तिगत सुरक्षा/निजी प्रतिष्ठानों/निजी व्यापारिक संस्थानों की सुरक्षा हेतु सशस्त्र होमगार्ड्स अनुमन्य नहीं होगा।

6- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस हेतु सशस्त्र होमगार्ड्स का प्रतिस्थापन नहीं किया जायेगा।

7- ड्यूटी स्थल पर शस्त्रों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी तथा ड्यूटी विवरण रखा जायेगा। उपस्थिति रजिस्टर अध्यावधिक पूर्ण किया जायेगा। उपलब्ध आर्म्स एवं एम्यूनिशन हेतु आर्म्स एम्यूनिशन रजिस्टर बनायेंगे तथा वैतनिक स्टाफ ही समय से भुगतान हेतु माहवार मस्टररोल के प्रेषण के लिए भी उत्तरदायी होंगे। सशस्त्र ड्यूटी स्थल पर निम्नानुसार अभिलेखों का रखरखाव किया जायेगाः-

(अ) ड्यूटी रजिस्टर।

(ब) हथियारों की स्टाक बुक।

(स) होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अधिकारियों की उपस्थिति पंजिका।

(द) जिला कमाण्डेण्ट की निरीक्षण पंजिका।

8- भुगतान के आधार पर सशस्त्र ड्यूटी का नियोजन भी उसी रीति से रोटेशन से किया जावेगा जिस प्रकार सामान्य ड्यूटियों का किया जाता है।

9- जिला कमाण्डेण्ट आर्म्स एवं एम्यूनिशन के रखरखाव, हथियारों की सुरक्षा तथा होमगार्डस की सुख सुविधा सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक 15 दिन के अन्तराल पर कभी दिन की अवधि में और कभी रात्रि की अवधि में सशस्त्र ड्यूटी अनिवार्य रूप से चेक करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ड्यूटी सही ढंग से चलायी जा रही है तथा होमगार्ड्स के भत्तों आदि का भुगतान भी समयबद्ध किया जा रहा है।

10- जिला कमाण्डेण्ट सार्वजनिक प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा हेतु तैनात सशस्त्र होमगार्डस के ड्यूटी भत्तों का भी भुगतान शासनादेश संख्याः 2690/छःनासु-09-329 होगा/09 दिनांक 4-8-2009 में अंकित समयसारिणी के अनुसार सुनिश्चित करायेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि ड्यूटी भत्ता भुगतान में असाधारण विलम्ब पाये जाने पर सम्बन्धित प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि की सशस्त्र होमगार्डस की ड्यूटी 15 दिन की नोटिस देकर समाप्त किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

11- सम्बन्धित डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट भी जनपदीय इकाई के भ्रमण एवं निरीक्षण के समय भुगतान के आधार पर तैनात सशस्त्र ड्यूटीज का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण आख्या में होमगार्डस ड्यूटी संचरण में नियम एवं प्रक्रिया के अनुपालन, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड्स के यूनिफार्म/टर्नआउट, उनके शस्त्र प्रशिक्षण तथा शस्त्र हैण्डलिंग सम्बन्धी जानकारी, शस्त्रों के रखरखाव एवं सुरक्षा तथा ड्यूटी भत्ता भुगतान, होमगार्ड्स के अनुशासन एवं सुख सुविधा पर समुचित टिप्पणी अंकित करते हुए निरीक्षण आख्या की एक प्रति अनुपालन हेतु जिला कमाण्डेण्ट को एवं एक प्रति होमगार्डस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट भुगतान के आधार पर तैनात सशस्त्र/निःशस्त्र ड्यूटी का कम से कम दो माह में एक निरीक्षण अनिवार्य रूप से करेंगे।

12- सशस्त्र ड्यूटी पर होमगार्ड्स को तैनात करने से पूर्व जिला कमाण्डेण्ट यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यवेक्षण अधिकारी/वैतनिक प्लाटून कमाण्डर/वैतनिक कम्पनी कमाण्डर द्वारा ड्यूटी पर तैनात होने वाले होमगार्ड्स को शस्त्रों की सफाई, संतरी के कर्तव्य, शस्त्रों की सुरक्षा, शस्त्रों के प्रयोग एवं रायफल के लोड-अनलोड तथा सेफ्टीकैच के प्रयोग सम्बन्धी जानकारी तथा क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए सम्बन्धी समुचित जानकारी एवं डिमास्ट्रेशन करा दिया जाय ताकि सशस्त्र ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड्स अपनी ड्यूटी प्रभावकारी एवं भली-भाँति कर सके।

माह दिसम्बर-2011 एवं अग्रेतर अवधि में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर सशस्त्र ड्यूटी प्रतिस्थापन के लिए उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(एस०एस०प्रसाद)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी।

प्रतिलिपि :-

1- प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक, लेखानुभाग, होमगार्ड्स मुख्यालय।
2- मुख्यालय की गार्ड फाइल हेतु।

(एस०एस०प्रसाद)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी।

आवश्यक/महत्वपूर्ण

होमगार्डस मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या 3131/लेखा/साफ्टवेयर-265/2009(II) दिनांकः फरवरी 15, 2013

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,

होमगार्डस,

उत्तर प्रदेश।

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों को समान रूप से ड्यूटी के अवसर उलब्ध कराने हेतु कम्प्यूटर साफ्टवेयर से ड्यूटी लगाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र संख्याः 2518/लेखा/साफ्टवेयर-265/2009 (I) दिनांक 21-12-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा माह जनवरी 2013 से मा० मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार साफ्टवेयर के माध्यम से होमगार्ड्स का प्रतिस्थापन सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये थे।

एन०आई०सी० द्वारा विकसित साफ्टवेयर में शासन के पत्र संख्या 3139/छःनासु-11-459 होगा/09, दिनाँक 07 जनवरी, 2011 द्वारा निर्देशित स्टडी ग्रुप की संस्तुतियों का समावेश करते हुए संवेदनशील श्रेणी का प्राविधान किया गया है और स्टडी ग्रुप की संस्तुति के क्रम में जनपदों में स्थान परिवर्तन का कार्य जिला कमाण्डेन्ट द्वारा किया जा रहा है। तथापि संवेदनशील श्रेणी का निर्धारण किस प्रकार किया जाये अथवा स्थान परिवर्तन किन परिस्थितियों में किया जाय, इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश प्रसारित नहीं हुए थे। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं:-

1- जनपद में प्रतिस्थापित होने वाले कुल ड्यूटी की संख्या का 10 प्रतिशत संवेदनशील की श्रेणी में रखा जायेगा।

2- संवेदनशील श्रेणी की 10 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत 60 प्रतिशत संख्या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नियोजित ड्यूटी हेतु आरक्षित रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों में संवेदनशील श्रेणी घोषित कर ड्यूटी नियोजन का न्यूनतम स्तर उप जिलाधिकारी/अपर नगर मजिस्ट्रेट तक सीमित रहेगा। अवशेष 40 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत कारागार ड्यूटी हेतु आरक्षित होगा एवं शेष 20 प्रतिशत भुगतान के आधार पर नियोजित ड्यूटी हेतु आरक्षित रहेगा।

3- उपरोक्त सन्दर्भित शासन के पत्र के साथ संलग्न रटडी ग्रुप की संस्तुति के अनुसार 15 प्रतिशत होमगार्डस के ड्यूटी स्थान को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने हेतु जिला कमाण्डेण्ट को अधिकृत किया किया गया है। तथापि उन आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को परिभाषित नहीं किया गया है जिसके अन्तर्गत इस अधिकार का प्रयोग किया जायेगा। अतः सम्यक विचारोपरान्त यह आदेश दिये जाते हैं कि कि इस अधिकार का प्रयोग जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स द्वारा उन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों अथवा आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जायेगा, जब यूज़र अर्थात जिसके अधीन अथवा हमराह ड्यूटी नियोजित की गयी हो, के द्वारा सकारण लिखित रूप से होमगार्ड्स बदले जाने का अनुरोध किया जाये। यह परिवर्तन उन्हीं होमगार्ड्स में से किया जायेगा जो प्रश्नगत माह में साफ्टवेयर से निकली सूची के

अनुसार किसी अन्य ड्यूटी स्थल पर नियोजित हों। यह परिवर्तन जिला कमाण्डेण्ट सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय कमाण्डेण्ट/डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्डस की अनुमोदनोपरान्त ही करेंगे। स्थान परिवर्तन की अधिकतम सीमा माह में नियोजित कुल ड्यूटी संख्या के 05 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। मण्डलीय कमाण्डेण्ट/डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल प्रत्येक माह में स्थान परिवर्तन किये गये स्वयं सेवकों की की संख्या जनपदवार होमगार्डस मुख्यालय को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे।

आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(अतुल)
कमाण्डेन्ट जनरल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, इलाहाबाद/आगरा/के०प्र०सं० लखनऊ।

2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

3- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं उप निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि संवेदनशील श्रेणी में उपरोक्तानुसार विभाजन का प्राविधान साफ्टवेयर में कराने का कष्ट करें।

(अतुल)
कमाण्डेन्ट जनरल

उत्तर प्रदेश, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ-226005

+91-522-2451365, सीयूजी-91-80050194100, फैक्स+91-522-2450251, ईमेल cghg-up@nic.in

संख्या 1686 /लेखा/सात-258/2010, लखनऊ: दिनांक अक्टूबर 02,2014

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,

होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

विषयः विभिन्न सार्वजनिक उद्‌यमों/निगमों/ स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं,शासकीय/ अर्द्धशासकीय संस्थाओं एवं प्रमुख पार्किंग स्थलों की सुरक्षा में प्रशिक्षित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की तैनाती के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1336/छःनासु-2001-390 होगा /97, दिनांक 23 जुलाई, 2001, शासनादेश संख्याः 217/छःनासु-05-390 होगा /97, दिनांक 14 फरवरी, 2005, शासनादेश संख्याः 2197/छःनासु-89-390 होगा/97, दिनांक 23 जून, 2009 तथा होमगार्ड्स मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 2300/लेखा/एक-635/1986, दिनांक 02 नवम्बर, 2007 एवं परिपत्र संख्याः 2450/लेखा/सात-258/2010, दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों के कम में होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा विभिन्न सार्वजनिक उद्‌यमों/निगमों/संस्थाओं एवं प्रमुख पार्किंग स्थलों की सुरक्षा में निःशस्त्र / सशस्त्र होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की तैनाती के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

कुछ ऐसे दृष्टांत सामने आये हैं जिनमें निःशस्त्र होमगार्डो को प्रचार-प्रसार के कार्य हेतु त्सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा मांग करने पर जिला कमाण्डेण्ट द्वारा यह आपत्ति लगायी गयी है कि ऐसे कार्या के लिये कम से कम 02 होमगार्ड को एक साथ लगाया जाना आवश्यक है।

ऐसे कार्य, जिनमें होमगार्ड को अकेले ड्यूटी करने पर किसी प्रकार की असुरक्षा की समस्या होने की सम्भावना नहीं है, उनमें जोड़ी में ड्यूटी प्रदान करने की वाध्यता न लगायी जाये।

अतः यदि मण्डल रेल प्रबन्धक अथवा रेल सुरक्षा बल द्वारा मानव रहित क्रासिंग हेतु होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की मांग प्राप्त होने पर मुख्यालय के उपरोक्त सन्दर्मित परिपत्रों के अनुसार नियमानुसार तैनाती की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(रंजन द्विवेदी)
कमाण्डेन्ट जनरल।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को अनुपालनार्थ:-

1- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, आगरा, इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर।

2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

(रंजन द्विवेदी)
कमाण्डेन्ट जनरल।

उत्तर प्रदेश, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ-226005

+91-522-2451365, सीयूजी-91-80050194100, फैक्स+91-522-2450251, ईमेल cghg-up@nic.in

संख्या:3023/साफ्टवेयर-265/2009(2)(भाग-2) दिनांक मार्च 12,2015

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

विषय: संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत होमगार्डस स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में साफ्टवेयर के माध्यम से होमगार्ड्स के प्रतिस्थापन की व्यवस्था प्रचलन में है। उक्त व्यवस्था में जनपदों में संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत होमगार्ड्स के प्रतिस्थापन हेतु संवेदनशील प्रतिशत का निर्धारण किया गया है। उक्त व्यवस्था की समीक्षा से यह पाया गया कि अधिकांश जनपदों में संवेदनशील श्रेणी की ड्यूटियों की कमी है तथा किसी एक पद पर आवश्यकता से अधिक संख्या में विवेकाधीन श्रेणी की ड्यूटी उपलब्ध होने पर अनियमितता की भी सम्भावना बनी रहती है। इस प्रकार की किसी सम्भावना के निराकरण हेतु कृत समीक्षा के प्रमाण के आधार पर प्रचलित व्यवस्था में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-

केवल महानगरों यथाः-कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद एवं लखनऊ हेतु संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत 05 प्रतिशत जिला कमाण्डेन्ट के स्तर से एवं 02 प्रतिशत डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल /मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स की अनुमति से अधिकतम 07 प्रतिशत होमगार्ड्स प्रतिस्थापित किये जा सकेंगे तथा अन्य जनपदों में संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत 03 प्रतिशत जिला कमाण्डेन्ट के स्तर से एवं 02 प्रतिशत डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स की अनुमति से अधिकतम 05 प्रतिशत होमगार्ड्स प्रतिस्थापित किये जा सकेंगे।

संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत होमगार्ड के प्रतिस्थापन की उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक की आवश्यकता पड़ने पर होमगार्ड्स मुख्यालय की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत सभी आदेशों/निर्देशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(रंजन द्विवेदी)
कमाण्डेण्ट जनरल

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1- श्री अजय गोपाल, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।

2- समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

(रंजन द्विवेदी)
कमाण्डेण्ट जनरल

संख्या-77/2015/3130/95-2015-100 होगा/94

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 16 दिसम्बर, 2015

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों की सम्बद्वता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1784/लेखा/सात-305/1999 (ए) दिनांक 11.08.2015 तथा पत्र संख्या-3217/लेखा/सात-305/1999 (1) दिनांक 02.12.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में विभिन्न जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/संस्थाओं/अन्य विभागों में होमगार्डस विभाग के आय-व्ययक से होमगार्डस स्वयंसेवकों को सम्बद्व किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल कार्यालय, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आवास, पूर्व मा0 मुख्यमंत्रीगण के आवास, मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन तथा होमगार्ड विभाग, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग से सम्बद्व होमगार्डस स्वयंसेवकों के डयूटी भत्तों का भुगतान होमगार्डस विभाग के आय-व्ययक से वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि अन्य किसी भी विभाग के मा0 मंत्रीगण/पूर्व मा0 मंत्रीगण/जनप्रतिनिधियों/व्यक्तियों/शासन व अन्य विभागों एवं संस्थाओं से सम्बद्व होमगार्डस स्वयंसेवकों के डयूटी भत्तों का भुगतान सम्बन्धित विभागों के आय-व्ययक से ही वहन किया जायेगा।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

........2

http://shasanadesh.up.nic.in

........2........

<u>संख्या-77/2015/3130(1)/95-15 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्रीगण।
4. समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

संख्या-02/95-2016-390 होगा/97

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्ड्य

अप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,

होमगार्डस, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2016

विषय: प्रदेश की विभिन्न समितियों/निजी संस्थाओं द्वारा संचालित स्ववित्तपोषित विद्यालयों/ विश्वविद्यालयों की सुरक्षा हेतु होमगार्डस स्वयंसेवक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2224/छः:नासु-09-390होगा/97, दिनांक 23.06.2009 के क्रम में अपने पत्र संख्या 2626/लेखा/ड्यूटी-57/2013(पार्ट) दिनांक 05.22015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की विभिन्न समितियों/निजी संस्थाओं द्वारा संचालित स्ववित्तपोषित विद्यालयों/विश्वविद्यालों की सुरक्षा हेतु उनके द्वारा भुगतान के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवकों की तैनाती किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय

(स्वामी नाथ पाण्डेय)

उप सचिव

उत्तर प्रदेश, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ-226005

+91-522-2451365, सीयूजी-91-80050194100, फैक्स+91-522-2450251, ईमेल cghg-up@nic.in

संख्या:4571/साफ्टवेयर-265/2009(2)(भाग-2) दिनांक मार्च 01,2016

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,

होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

होमगार्ड स्वयंसेवकों के ड्यूटी प्रतिस्थापन हेतु साफ्टवेयर में नियमित इयूटी अल्पकालिक ड्यूटी आपातकालीन ड्यूटी लगाये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है। उक्त तीनों प्रकार से प्रतिस्थापित होने वाली ड्यूटिया निम्नवत् प्रतिस्थापित की जायेगी:-

नियमित ड्यूटी:

मासिक शांति सुरक्षा व्यवस्था एवं वाह्य प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर प्रतिस्थापित होने वाली ड्यूटी का प्रतिस्थापन नियमित विकल्प के अन्तर्गत किया जायेगा।

अल्पकालिक ड्यूटी:

नियमित ड्यूटी प्रतिस्थापन के बाद माह के मध्य में प्रतिस्थापित होने वाली ड्यूटी अथवा माह के मध्य से आगामी माहों में लगातार प्रतिस्थापित होने वाली इयूटी का प्रतिस्थापन अल्पकालिक विकल्प के अन्तर्गत एक साथ किया जायेगा। यदि लगातार एक से दूसरे माह की ड्यूटी एक साथ नही निकल रही है, तो प्रथमतः एक माह की ड्यूटी लगायी जायेगी तथा तदुपरान्त दूसरे माह की ड्यूटी साफ्टवेयर से निकाली जायेगी।

आपातकालीन ड्यूटी:

नियमित ड्यूटी/अल्पकालिक ड्यूटी के प्रतिस्थापन के बाद यदि जनपद में ड्यूटी की पूर्ति मांग के सापेक्ष नहीं हो पा रही है तथा विभिन्न कम्पनियों में होमगार्डस अवशेष बचे हैं, तो रिक्त ड्यूटी का प्रतिस्थापन आपातकालीन विकल्प के अन्तर्गत किया जायेगा। निर्वाचन ड्यूटी की पूर्ति भी आवश्यकतानुसार इसी विकल्प के अन्तर्गत किया जायेगा। जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस आपातकालीन विकल्प से ड्यूटी लगाने की सूचना होमगार्डस मुख्यालय एवं मण्डलीय कमाण्डेन्ट को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए साफ्ट्वेयर से ड्यूटी पतिस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(रंजन द्विवेदी)
कमाण्डेण्ट जनरल

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल सहारनपुर, इलाहाबाद, झांसी
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त राजपत्रित अधिकारी, होमगार्डस मुख्यालय।
4. सम्बन्धित पटल सहायक, होमगार्डस मुख्यालय

(रंजन द्विवेदी)
कमाण्डेण्ट जनरल

संख्या-38/2016/1791/पन्चानवे-16-390 होगा/97

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

होमगार्ड अनुभाग लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 2016

विषय- विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में से इतर निजी समितियों संस्थाओं द्वारा स्थापित विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भुगतान के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवकों को उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1336/छ:नासु-2001-390 होगा/97 दिनांक 23.07.2001, शासनादेश संख्या-217/छ:नासु-05-390 होगा/97 दिनांक 14.02.2005] शासनादेश संख्या-2197/छ:नासु-09-390 होगा/97 दिनांक 15.06.2009 एवं शासनादेश संख्या-2224/छ:नासु-09-390 होगा/97 दिनांक 23.06.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश क विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय तथा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डस के स्थान पर प्रशिक्षित होमगार्डस स्वयंसेवकों की तैनाती अनिवार्य रूप से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के होमगार्डस स्वयंसेवकों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक संस्थाओं से इतर यथा प्रदेश की निजी समितियों/ संस्थाओं द्वारा स्थापित स्ववित्तपोषित विद्यालयों/डिग्री कालेजों एवं विश्वविद्यालयों को भी उनकी सुरक्षा हेतु भुगतान के आधार पर होमगार्डस स्वयंसेवक उपलब्ध कराये जायेंगे। अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अपने अधीनस्थ विभागों से सम्बन्धित समितियों, संस्थाओं विद्यालयों, डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

.........2

http://shasanadesh.up.nic.in

........2.......

3. शासनादेश संख्या-2224/छ:नासु-09-390 होगा/97 दिनांक 23.06.2009 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश दिनांक 23.06.2009 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(गीता मिश्रा)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-38/2016/1791(1)/पन्चानवे-16-तददिनांक।</u>

प्रतिलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महासमादेष्टा होमगार्डस, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मण्डलीय कमाण्डेण्ट एवं जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस को इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ-226005

+91-522-2451365, सीयूजी-91-80050194100, फैक्स+91-522-2450251, ईमेल cghg-up@nic.in

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

संख्या 11997 /लेखा/सात-146/2005(पार्ट-2) लखनऊ: दिनांक सितम्बर 27, 2019

विषय: मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनॉकः 30.07.2019 एवं तद्क्रम में शासन के आदेश संख्या:1683/पन्चानवे-19-46रिट/15 टीसी।।।, दिनांक 05 सितम्बर, 2019 होमगार्डस स्वंयसेवकों की ड्यूटी प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 के क्रम में होमगार्डस स्वंयसेवकों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन के समान किये के आदेश पारित हैं। मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 के क्रम में शासनादेश संख्या 55/2019/1683/पन्चानवे-19-46रिट/15 टीसी।।। दिनाँक 23 सितम्बर, 2019 द्वारा होमगार्डस स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता पुलिस कर्मिक न्यूनतम वेतन के बराबर करते हुए प्रतिदिन रू० 600/- एवं वर्तमान में मंहगाई भत्ता रू० 12 प्रतिशत के अनुसार रु 72/-प्रतिदिन इस प्रकार कुल 672/-प्रतिदिन प्रति होमगार्डस की दर से दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त क्रम में शासन में बैठक दिनांक: 28.08.2019 की कार्यवृत्त पत्र संख्या:1113/पन्चानबें 19-48रिट/15 टी०सी०।।। दिनांक-05 सितम्बर, 2019 द्वारा होमगार्डस विभाग में उपलब्ध बजट के अनुसार ही होमगार्डस स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश के परिपालन में विभागीय बजट की समीक्षा करने पर पाया गया कि वर्तमान में उपलब्ध बजट के अनुसार रू० 672/- प्रतिदिन प्रति होमगार्डस स्वयंसेवकों की दर से भुगतान करने पर लगभग 35000 होमगार्डस स्वयंसवकों को ही इस वित्तीय वर्ष के अवशेष माहों में यथा-अक्टूबर, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक कुल-05 हेतु ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। विभागीय आय-व्यय से विभिन्न ड्यूटियों पर नियोजित हो रहे होमगार्डों की संख्या 51,575 में से बजट की कमी के कारण लगभग 32 प्रतिशत कुल 16,519 होमगार्डस, स्वयंसेवकों की ड्यूटी कम की जा रही है। इस प्रकार माह अक्टूबर से वर्तमान वितीय वर्ष के लिये होमगार्डस विभाग के उपलब्ध बजट के अनुसार कुल निर्धारित संख्या 51,575 होमगार्डस स्वंयसेवकों के स्थान पर कुल 35,356 की सख्या निर्धारित की जा रही है। जनपदवार ड्यूटी व्यवस्थापन हेतु होमगार्ड्स स्वंयसेवकों की नवीन सूची संलग्न की जा रही है जिसके कालम-03 में अंकित संख्यानुसार ही माह अक्टूबर 2019 से माह फरवरी, 2020 तक होमगार्डस स्वयंसेवकों प्रतिस्थापन एन०आई०सी० के माध्यम से समय से किया जाना सुनिश्चित करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक कोटे से समानुपातिक संख्या में होमगार्डस स्वंयसेवकों की संख्या कम की जायेगी:

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि विशेष सचिव गृह (पुलिस) उत्तर प्रदेश शासन के के पत्र संख्या:-4650/छ:-पु०-16 2019-46रिट /15(VI) दिनांक 24 सितम्बर 2019 (छायाप्रति सलग्न) सलग्न) द्वारा प्रदेश में आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनके स्थान पर कानून एवं व्यवस्था के

पूर्व से चल रही 25000 होमगार्डस स्वयंसेवकों की ड्यूटियों को यथावत बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं। अपरोक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(गोपल लाल मीना)
पुलिस महानिदेशक/
कमाण्डेन्ट जनरल।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस, प्रयागराज/झांसी/आगरा।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।
9- श्री अजय गोपाल, तकनीकी निदेशक, योजना भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(गोपल लाल मीना)
पुलिस महानिदेशक/
कमाण्डेन्ट जनरल।

संख्या-72/2019/2687/पन्चानबे-2019-100 होगा/94 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त शासनादेश संख्या-77/2015/3130/95-2015-100 होगा/94, दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में विभिन्न जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/संस्थाओं/अन्य विभागों में होमगार्डस विभाग के आय-व्ययक से होमगार्डस स्वयंसेवकों को सम्बद्ध किये जाने विषयक पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को तत्काल प्रभाव से अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल कार्यालय, मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय एवं आवास, पूर्व मा0 मुख्यमंत्रीगण के आवास, मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन तथा होमगार्ड विभाग से सम्बद्ध होमगार्डस स्वयंसेवकों के डयूटी भत्तों का भुगतान होमगार्डस विभाग के आय-व्ययक से वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि अन्य किसी भी विभाग के मा0 मंत्रीगण/पूर्व मा0 मंत्रीगण/जनप्रतिनिधियों/व्यक्तियों/शासन व अन्य विभागों एवं संस्थाओं से सम्बद्ध होमगार्डस स्वयंसेवकों के डयूटी भत्तों का भुगतान सम्बन्धित विभागों के आय-व्ययक से ही वहन किया जायेगा।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

........2........

<u>संख्या-72/2019/2687(1)/पन्चानबे-19 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्यमंत्री, उ0प्र0।
4. समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-02/2020/2589/पन्चानवे-2019-269 होगा/17 टी0सी0</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग लखनऊ दिनांक : 03 जनवरी, 2020

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों के डयूटी मस्टररोल्स के प्रमाणीकरण एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कतिपय जनपदों में होमगार्डस स्वयंसेवकों के मस्टररोल में पायी गयी अनियमितताओं के क्रम में विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारी अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा जिला/मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस द्वारा अलग-अलग जांच कराये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अलग-अलग अधिकारियों द्वारा अलग-अलग तरीके से जांच की जा रही है, इससे जांच में एकरूपता नहीं आ रही है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2019 के अनुपालन में होमगार्डस स्वयंसेवकों को दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 से 30 सितम्बर, 2019 तक का एरियर का भुगतान किया जाना है। चूंकि मस्टररोलो को तैयार करने में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं प्रकाश में आयी है, अतः एरियर का भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उक्त अवधि के मस्टररोलो की जांच करा ली जाय, ताकि सही भुगतान किया जा सके।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्डस स्वयंसेवकों के डयूटी मस्टररोल्स के प्रमाणीकरण एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैः-

(क) 01 दिसम्बर, 2016 से 30 सितम्बर, 2019 तक के मस्टररोल्स की जांच एवं एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में।

(i) सभी जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया जाय, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक एवं जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स सदस्य होंगे। समिति द्वारा निम्न प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक ड्यूटी स्थल के 01 दिसम्बर, 2016 से 30 सितम्बर, 2019 तक के कुल 34 माह के मस्टररोल्स की जांच की जाए।

(ii) होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की ड्यूटी एन0आई0सी0 द्वारा विकसित उपहार पोर्टल द्वारा लगायी जाती है। अतः सर्वप्रथम उपहार पोर्टल पर उपलब्ध उक्त 34 माह की ड्यूटी सूची से मस्टररोल्स के साथ संलग्न कम्प्यूटर के माध्यम से लगायी गयी ड्यूटी एवं मस्टररोल के नाम से मिलान किया जाए। भिन्नता की दशा में जिला कमाण्डेण्ट द्वारा उसका नियमों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(iii) प्रत्येक ड्यूटी स्थल के उक्त 34 माह के सभी मस्टररोलों को उन ड्यूटी स्थलों के प्रभारी यथा थाना प्रभारी/ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रतिष्ठान के नामित अधिकारी से प्रमाणित कराया जाए कि उक्त मस्टररोल में कोई त्रुटि नहीं है और मस्टररोल पर उनके अथवा उनके द्वारा अधिकृत कार्मिक के ही हस्ताक्षर हैं।

(iv) जो मस्टररोल ड्यूटी स्थल के प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कर दिये जाएं उन मस्टर रोलों में जिन होमगार्ड्स के नाम उपलब्ध हैं उनका कोषागार से भुगतान से संबंधित फाइल तथा एन0आई0सी0 साफ्टवेयर पर उपलब्ध सम्बन्धित होमगार्डस की बैक पासबुक में अंकित बैंक खाता संख्या से मिलान कर लिया जाए कि सही होमगार्डस को उनके ही खातों में भुगतान किया गया है।

...........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(v) यदि उक्त प्रक्रिया में अनियमित भुगतान के अथवा फर्जी मस्टररोल के प्रकरण संज्ञान में आते हैं तो समिति द्वारा उनकी जांच कर प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारी/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए जांच आख्या महासमादेष्टा, होमगार्ड्स को उपलब्ध करायी जाए। महासमादेष्टा, होमगार्ड्स जांच आख्या का परीक्षण कर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अथवा यथास्थिति शासन को कार्यवाही हेतु आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(ख) भविष्य में होमगार्डस स्वयंसेवकों की उपस्थिति प्रमाणित करने तथा मस्टररोल तैयार करने के सम्बन्ध में :-

(i) शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि बहुधा किसी भी जनपद में माह के प्रथम दिन एन0आई0सी0 साफ्टवेयर से प्राप्त सूची के अनुसार थानो में आमद एवं माह के अन्तिम दिन रवानगी तो की जाती है, किन्तु माह के शेष दिनों में सभी होमगार्ड्स की उपस्थिति का विवरण जी0डी0 पर उनकी रवानगी से मेल नहीं खाता है। प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रतिष्ठानो में जी0डी0/आमद तथा रवानगी की व्यवस्था नही है। अतः प्रत्येक ड्यूटी स्थल प्रभारी की अभिरक्षा में होमगार्डस की उपस्थिति पंजिका रखी जाए, जिस पर होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रतिदिन हस्ताक्षर प्राप्त किये जाएं।

(ii) यदि किसी होमगार्डस स्वयंसेवक की तैनाती ड्यूटी स्थल कार्यालय से अलग कहीं क्षेत्र में की जाती है तो ड्यूटी स्थल प्रभारी अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट कार्मिक द्वारा उसकी उपस्थिति अंकित की जाय।

(iii) यदि होमगार्ड्स स्वयं सेवक अनुपस्थित है तो उसे ड्यूटी स्थल प्रभारी अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट कार्मिक द्वारा लाल पेन से अनुपस्थित लिखा जाए।

(iv) ड्यूटी स्थल प्रभारी द्वारा सप्ताह में कम से कम एक बार उपस्थिति पंजिका पर अंकित विवरण को प्रमाणित किया जाए और अनुपस्थिति की सूचना जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स को उपलब्ध करायी जाए।

(v) उक्त रजिस्टर की उपस्थिति के आधार पर जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स द्वारा इस हेतु अपने अधीनस्थ निर्दिष्ट कार्मिक के माध्यम से मस्टररोल दो प्रतियों में तैयार करके ड्यूटी स्थल प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा सम्बन्धित ड्यूटी स्थल प्रभारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कार्मिक द्वारा अपने हस्ताक्षर, नाम, पदनाम व दिनांक अंकित करते हुए मस्टररोल को निम्नलिखित प्रारूप पर प्रमाण पत्र अंकित करते हुए प्रमाणित किया जाय :-

प्रमाणित किया जाता है कि मस्टररोल के क्र0सं0 1 से क्र0सं0 **.......** तक अंकित होमगार्डस ने ड्यूटी स्थल .... पर दिनांक .... से .... तक ड्यूटी की है**,** तथा उनके कुल मानव दिवस .... (अंको एवं शब्दो में) प्रमाणित किये जाते है।

उपरोक्तानुसार प्रमाणित कराये गये मस्टररोल की एक प्रति माह के पांच तारीख तक प्रत्येक दशा में डिस्पैच किए गए पत्र (कवरिंग लेटर) के साथ जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स को उपलब्ध करायी जाए तथा उसकी एक प्रति ड्युटी स्थल कार्यालय में सुरक्षित रखी जाए।

(vi) प्रत्येक मास की ड्युटी स्थल के मस्टररोल की एक प्रति को सुरक्षित रखने का दायित्व ड्युटी स्थल के प्रभारी अधिकारी का होगा।

(vii) प्रत्येक थाने पर रात्रि में जी0डी0 बन्दी से पूर्व यह तस्करा अंकित किया जायेगा कि पूरे दिन में 08-08 घण्टे की शिफ्टों में कुल कितने होमगार्डस थाने पर ड्यूटी हेतु आये प्रत्येक होमगार्डस का नाम मय उनके ड्यूटी स्थान के तस्करें में विस्तृत रूप से लिखा जाये।

(viii) थाने में किसी भी ड्यूटी के दौरान किसी भी ड्यूटी पाली में उपस्थित होमगार्डस स्वयंसेवकों के अतिरिक्त अनुपस्थित होने वाले होमगार्डस स्वयंसेवकों की अनुपस्थिति का तस्करा भी जी0डी0 में अंकित किया जाये तथा अनुपस्थित होमगार्डस स्वयंसेवकों की सूचना सम्बन्धित जिला कमाण्डेण्ट**,** होमगार्डस को सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा लिखित रूप में उसी दिवस अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये।

..........3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ix) होमगार्ड्स विभाग के थाने से संबंधित वैतनिक अथवा अवैतनिक अधिकारी संबंधित थाना प्रभारी से नियमित रूप से संपर्क करेंगे और यदि कोई समस्या है तो जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स को अवगत करायेंगे।

3. यह आदेश गृह विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे है।

4. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-02/2020/2589(1)/पन्चानवे-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों को आदेशित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-03/2020/31/पन्चानबे-2020-100 होगा/94 टी0सी0

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक : 06 जनवरी, 2020

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त शासनादेश संख्या-72/2019/2687/पन्चानबे-2019-100 होगा/94 टी0सी0, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के प्रस्तर-1 में त्रुटिवश "**दिनांक 16 दिसम्बर, 2015"** के स्थान पर **"दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 अंकित हो गया है।** अत: उक्त शासनादेश दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 में **"दिनांक 16 दिसम्बर, 2019"** के स्थान पर "**दिनांक 16 दिसम्बर, 2015"** पढ़ा जाय।

3. शासनादेश संख्या-72/2019/2687/पन्चानबे-2019-100 होगा/94 टी0सी0, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय
सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-03/2020/31(1)/पन्चानबे-2020 टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0
3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्यमंत्री, उ0प्र0।
4. समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04 /2020/मं0 192/पन्चानबे-2020-100 होगा/94 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2020

विषय: होमगार्डस स्वयंसेवकों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त शासनादेश संख्या-72/2019/2687/पन्चानबे-2019-100 होगा/94 टी0सी0, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उप मुख्यमंत्री, मा0 नेता विरोधी दल, विधान परिषद, मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा एवं राज्य स्तरीय डाटा सेन्टर, एन0आई0सी0, योजना भवन से सम्बद्ध होमगार्डस स्वयंसेवकों के डयूटी भत्तों का भुगतान पूर्व की भॉति होमगार्डस विभाग के आय-व्ययक से वहन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-04/2020/मं0 192(1)/पन्चानबे-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 नेता विरोधी दल, विधान परिषद, उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अति आवश्यक/फैक्स द्वारा

उत्तर प्रदेश, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ-226005

+91-522-2451365, सीयूजी-91-80050194100, फैक्स+91-522-2450251, ईमेल cghg-up@nic.in

पत्र संख्या 3073/लेखा/ड्यूटी-1/2009 दिनांक: मार्च 27, 2020

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,

होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश। (जनपद-लखनऊ/चित्रकूट/श्रावस्ती/देवीपाटन को छोडकर)

विषयः जनपदीय कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 04-04 अतिरिक्त होमगार्ड्स स्वंयसेवकों स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त जनपदीय कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त इकाइयों में दिवस ड्यूटी हेतु 01 होमगार्ड 06.00AM से 02.00PM, 01 होमगार्ड 02.00PM से 10.00AM तथा रात्रि पाली 10.00PM से 06.00AM हेतु 02 होमगार्ड्स स्वंयसेवकों को तैनात किये जाने की स्वीकृति कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

अतः तद्नुसार अवगत होते हुये उपरोक्तानुसार होमगार्ड्स स्वंयसेवकों की तैनाती एवं उनके ड्यूटी भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(रंजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- पी०ए०टू०डी०जी०, होमगार्डस मुख्यालय को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सम्बन्ध में कमाण्डेण्ट जनरल महोदय के अनुमोदन/अवलोकनोंरान्त एक प्रति पत्रावली पर अनुरक्षण हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स प्रयागराज, झाँसी एवं आगरा।
3- समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

(रंजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल

उत्तर प्रदेश, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ-226005

+91-522-2451365, सीयूजी-91-80050194100, फैक्स+91-522-2450251, ईमेल cghg-up@nic.in

पत्र संख्या 3156/लेखा/ड्यूटी-1/2009 दिनांक: मार्च 30, 2020

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

विषयः जनपदीय कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 04-04 अतिरिक्त होमगार्ड्स स्वंयसेवकों स्वीकृति <u>के सम्बन्ध में।</u>

कृपया उपरोक्त विषयक होमगार्डस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ के पत्रसंख्याः 3073/लेखा/ड्यूटी-1/ 2020, दिनांकः मार्च 27 2020 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा समस्त जनपदीय कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 04-04 अतिरिक्त होमगार्ड्स स्वंयसेवकों की तैनाती हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि प्रदेश की किसी भी इकाई में कार्यालय सुरक्षा हेतु होमगार्ड्स मुख्यालय की पूर्व प्रदत्त स्वीकृति के अन्तर्गत होमगार्ड्स स्वंयसेवकों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित हो रहा है, तो उस प्रतिस्थापन से सम्बन्धित प्रदान की गयी पूर्व स्वीकृति के आदेश की छायाप्रति तत्काल इस मुख्यालय को फैक्स/विशेष वाहक/श्री विजय पाल सिंह चौहान, कन्ट्रोल रूम प्रभारी के मोबाइल वाट्सअप के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें एवं होमगार्डस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्याः 3073/लेखा/ड्यूटी-1/2020, दिनांकः मार्च 27,2020 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के कम में अतिरिक्त होमगार्ड्स स्वंयसेवकों का प्रतिस्थापन कदापि न किया जाये। अतः तद्नुसार अवगत होते हुये उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता अनिवार्य है।

(रणजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- पी०ए०टू०डी०जी०, हो०गा० मुख्यालय को कमाण्डेण्ट जनरल महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

2- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्डस प्रयागराज, झॉसी एवं आगरा।

3- समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

(रणजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल

संख्या-22/2020/624/पन्चानवे-2020-390 होगा/97

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0
लखनऊ।

होमगार्ड अनुभाग | लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल, 2020

विषय- शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय प्रकरणों में शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों की होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गयी है, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा उसी अवधि का शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा का वेतन भी आहरित किया जा रहा है तथा होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के दायित्वों के निर्वहन के सापेक्ष ड्यूटी भत्ता भी प्राप्त किया जा रहा है। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने दैनिक 08 घण्टे की सेवाओं के उपरान्त होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में 08 घण्टे की अतिरिक्त सेवा दिया जा पाना व्यवहारिक दृष्टिकोण से न तो संभव है और न ही कार्यक्षमता के दृष्टिकोण से उचित है।

2. उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम-1963 की धारा 7 (1) में निम्नवत प्रावधान किया गया है-

"ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें, कोई व्यक्ति जो होमगार्ड्स के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियत प्रपत्र में प्रार्थना पत्र देगा। यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवा में हो तो, उस प्राधिकारी के माध्यम से देगा जो उसे इसमें सम्मिलित होने की अनुमति देने के लिये सक्षम हो।"

3. यह सम्भव है कि ऐसे प्रकरणों में संबंधित कार्मिकों द्वारा अपने मूल नियोक्ता से होमगार्ड स्वंयसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति के आवेदन की अनुमति प्राप्त न की गयी हो। संज्ञान में आये ऐसे प्रकरणों के अतिरिक्त भी ऐसे अन्य होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारियों के प्रकरण हो सकते हैं, जिनके द्वारा उसी अवधि की सेवाओं के सापेक्ष दो विभागों, अपने मूल विभाग तथा होमगार्ड्स विभाग, से भुगतान प्राप्त किये जा रहे हों।

4. उपरोक्त स्थिति के उचित समाधान के लिए तथा होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारियों की पूरी क्षमता के साथ विभाग में अपनी सेवाओं को देना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपके पत्र संख्या-2279/कामिक/प्रस्ताव-90/2020 दिनांक 03 मार्च 2020 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(i) सभी जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स अपने अधीन कार्यरत समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों अथवा अवैतनिक अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप पर इस आशय की जानकारी प्राप्त करेंगे कि वे किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत हैं या नहीं। ऐसी किसी सेवा में कार्यरत होने की दशा में संबंधित नियोक्ता का पूर्ण विवरण और नियोक्ता द्वारा होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अनापत्ति प्रणाम पत्र प्राप्त करेंगे।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त जिला कमाण्डेण्ट द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी द्वारा जिस अवधि का शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा का भुगतान प्राप्त किया गया हो, उस अवधि की होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में न तो सेवाएं ली जायेंगी और न ही उसका भुगतान किया जायेगा, अर्थात् ऐसे कार्मिकों को होमगार्ड स्वयंसेवक अथवा अवैतनिक अधिकारी के रूप में केवल उसी अवधि के ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि का शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा का भुगतान उनके द्वारा प्राप्त न किया गया हो। ऐसे कार्मिकों की ड्यूटी भत्ते का भुगतान होमगार्ड संचरण व्यवस्था से ड्यूटी निकाले जाने के उपरान्त तभी किया जा सकेगा, जबकि वे अपने मूल नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके द्वारा उक्त अवधि का भुगतान अपने मूल शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा कार्यालय द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

5. उपरोक्त आदेश माह मई 2020 एवं उसके उपरान्त लगायी जाने वाली डयूटियो पर प्रभावी होंगे।

भवदीय,

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-22/2020/624(1)/पन्चानबे-2020-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगाडर्स, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
3. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. समस्त कमाण्डेण्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-36/2020/1275/पन्चानवे-2020-390 होगा/97

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

होमगार्ड अनुभाग लखनऊ, दिनांकः 04 अगस्त, 2020

विषयः- अन्य विभागों / वाह्य प्रतिष्ठानों में होमगार्ड्स स्वयसेवकों की तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

होमगार्ड विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा गृह विभाग / जिला प्रशासन की अपेक्षानुसार विभिन्न जनपदों में, मा0 मंत्रीगण के कार्यालयों में, विभिन्न विभागों में तथा विभागों के अधीन शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थानों / वाह्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा हेतु होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की ड्यूटी एन0आई0सी0 के सहयोग से विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से सम्बन्धित जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स द्वारा लगाए जाने की व्यवस्था है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय होमगार्ड्स स्वयंसेवक साफ्टवेयर के माध्यम से नियत ड्यूटी स्थल पर ड्यूटी हेतु होते है, अपितु वह कदाचित् वाह्य विभागों के प्रभारी से सीधे संपर्क कर अनियमित रूप से होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में ड्यूटी पर स्वयं नियोजित हो जाते है तथा सम्बन्धित विभाग के कार्यालय से ऐसी अनियमित ड्यूटी के लिए सीधे भुगतान भी प्राप्त कर लेते है।

3. सम्बन्धित जिला कमाण्डेण्ट से अपेक्षित संख्या के होमगार्डस की मांग किये बिना एवं जिला कमाण्डेण्ट के औपचरिक आदेश के बिना ऐसे होमगार्ड्स का किसी भी विभाग में सुरक्षा ड्यूटी हेतु प्रतिस्थापन किया जाना एवं होमगार्ड्स को ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाना नियमानुकूल नही है। इस प्रकार की प्रक्रिया से एक ही स्वयंसेवक के दो स्थलों पर ड्यूटी पर नियोजित हो जाने तथा फलस्वरूप ड्यूटी भत्ते के दोहरे भुगतान की एवं वर्दी के दुरूपयोग की आशंका भी रहती है। इसके अतिरिक्त उक्त साफ्टवेयर से होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के निर्गत ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के विरूद्ध ड्यूटी एवं परेड से प्रतिबन्ध एवं अनुशासनिक कार्यवाही के कारण विभाग से पृथक करने की कार्यवाही भी निष्प्रभावी रहती है तथा इस बात की आशंका भी बनी रहती है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवक के रूप में ड्यूटी करने वाला व्यक्ति वास्तव में होमगार्ड्स स्वयंसेवक ही नहीं है अथवा विभाग से सेवानिवृत्त / बर्खास्त हो चुका है।

.........2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

.......2.......

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु आवश्यक है कि अन्य विभागों / वाह्य प्रतिष्ठानों में भुगतान के आधार पर नियोजित होने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के लिए निम्नांकित प्रक्रिया को अपनाया जाय :-

(i) सम्बन्धित अन्य विभाग / वाह्य प्रतिष्ठान द्वारा विभागीय शर्तों एवं समय से भुगतान की सहमति के साथ जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स से नियोजित किये जाने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की लिखित रूप में मांग की जायेगी।

(ii) जिला कमाण्डेण्ट द्वारा अन्य विभागों / वाह्य प्रतिष्ठान में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की ड्यूटी एन0आई0सी0 से विकसित साफ्टवेयर से निर्गत सूची के अनुसार लगायी जायेगी।

(iii) सम्बन्धित अन्य विभाग / वाह्य प्रतिष्ठान अपने विभाग / प्रतिष्ठान की सुरक्षा हेतु नियोजित रहें होमगार्ड्स स्व्यंसेवको के प्रश्नगत मास के मस्टररोल प्रमाणित कर अगले मास की 05 तारीख तक सम्बन्धित जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स को प्रस्तुत करेंगे। जिला कमाण्डेण्ट प्राप्त मस्टररोल में ड्यूटी पर दर्शाये गये होमगार्ड्स का साफ्टवेयर सूची से सत्यापन करने के उपरान्त होमगार्ड्स के ड्यूटी स्थल एवं मानव दिवस का अंकन जिला कार्यालय के ड्यूटी / रोस्टर रजिस्टर में निर्धारित अभिलेखीय प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण करने के उपरान्त मस्टररोल प्रतिहस्ताक्षरित कर भुगतानार्थ डिस्पैच के माध्यम से सम्बन्धित विभागो / वाह्य प्रतिष्ठानों को 07 तारीख तक उपलब्ध कराएगें। सम्बन्धित विभाग / प्रतिष्ठान द्वारा माह की 15 तारीख तक उक्त प्रतिहस्ताक्षरित मस्टररोल के सापेक्ष होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान सम्बन्धित होमगार्ड्स के बैंक खातों के माध्यम से सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

(iv) उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार ड्यूटीरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्तों के भुगतान की समग्र सूचना सम्बन्धित अन्य विभागों / वाह्य प्रतिष्ठान के प्रभारी द्वारा जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स को प्रत्येक माह प्रेषित की जायेगी।

(v) अन्य विभागों / वाह्य प्रतिष्ठानों द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्तों के मस्टररोल्स का भुगतान कोषागार से होने की दशा में सम्बन्धित कोषागार द्वारा भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्बन्धित जनपद के जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स के द्वारा उस बीजक में दर्शाये गए ड्यूटीरत होमगार्ड्स के मस्टररोल को प्रतिहस्तक्षरित किया गया है।

(vi) जिन वाह्य प्रतिष्ठानों में नियोजित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान कोषागार के माध्यम से नहीं किया जाता है, उन विभागों द्वारा उपरोक्त प्रस्तर (iii) एवं (iv) में विहित प्रक्रिया के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा, अथवा उनके विभाग में स्वंयसेवक के प्रत्येक मास के मस्टररोल प्रमाणित कर उसमें विहित धनराशि चेक /

.........3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

.......3.......

डी0डी0 के माध्यम से अगले मास की 05 तारीख तक सम्बन्धित जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स को प्रेषित की जायेगी। जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स प्राप्त मस्टररोल का सत्यापन साफ्टवेयर सूची से करने के उपरान्त मस्टररोल का अंकन ड्यूटी रोस्टर रजिस्टर पर सम्बन्धित होमगार्ड्स के ड्यूटी मानव दिवसों एवं ड्यूटी स्थल का अंकन करने के साथ अन्य निर्धारित अभिलेखीय प्रक्रिया को पूर्ण करने के उपरान्त माह की 15 तारीख तक उक्त मस्टररोल के सापेक्ष होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के खातें में भुगतान सुनिश्चित करेगें।

अत: अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-36/200/1275(1)/पन्चानवे-2020-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महासमादेष्टा होमगार्ड्स, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे जिन प्रतिष्ठानों में होमगार्डस स्वयंसेवक नियोजित हैं उन प्रतिष्ठानो को आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट / जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-40/2020/1616/पन्चानबे-2020-138 होगा/97

प्रेषक

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महासमादेष्टा
होमगार्ड्स उ0प्र0
लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।

3- समस्त डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स उ0प्र0।

4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स उ0प्र0।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ: दिनांक 24 सितम्बर, 2020

विषय: फिल्ड स्तर के विभागीय अधिकारियों डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेन्ट/मण्डलीय कमाण्डेन्ट(प्रशिक्षण)/जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स की सुरक्षा के दृष्टिगत होमगार्ड्स स्वयंसवको की तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6775/लेखा/ड्यूटी-1-2009 दिनांक 28.8.2020 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-2943/छ:नासु-09-138होगा/97, दिनांक 24.8.2009 द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से फील्ड स्तर के अधिकारियों मण्डलीय कमान्डेंट तथा जिला कमाण्डेन्ट के साथ 06-06 होमगार्ड्स स्वयंसेवक की तैनाती जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त कोटे के तहत किये जाने की व्यवस्था है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल एवं मण्डलीय कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र के पदो की स्वीकृति के फलस्वरूप सुरक्षा की दृष्टि से फील्ड स्तर के विभागीय अधिकारियों, डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल के साथ 08, मण्डलीय कमान्डेंट/मण्डलीय कमाण्डेन्ट (प्रशिक्षण) तथा जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स के साथ 06-06 होमगार्ड्स स्वयंसेवको की तैनाती की स्वीकृति जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त कोटे से इतर सम्बन्धित अधिकारियों के अधीन इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित अधिकारी, जिलाधिकारी /मण्डलायुक्त कोटे से होमगार्ड्स स्वयंसेवक नहीं लेंगे तथा शासनादेश दिनांक 24.8.2009 द्वारा आवंटित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त कोटे में से उतनी ही संख्या में होमगार्ड्स घटा दिये जायेंगे।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-01/2021/2487/पन्चानबे-2020-300 होगा/01

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगाडर्स अनुभाग लखनऊ दिनांक : 06.01.2021

विषय: महिला होमगार्डस स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि होमगार्डस स्वयंसेवकों के विभिन्न ड्यूटी स्थलों पर ड्यूटी प्रतिस्थापन किये जाने के समय या तो नियोक्ता की इच्छा अथवा स्व-प्रेरणा से महिला होमगार्डस स्वयंसेवकों की ड्यूटी नहीं लगायी जाती है। इससे पर्याप्त संख्या में ड्यूटी की मॉग होते हुए भी पुरूष होमगार्डस की तुलना में महिला होमगार्डस स्वयंसेवकों को ड्यूटी के समुचित अवसर नहीं मिलते हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। इससे जुड़े अधिकारियों की नीयत लिंग के आधार पर भेद-भाव (Gender bias) को भी इंगित करती है तथा साथ ही यह सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता नीति के भी प्रतिकूल है।

2. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध ड्यूटियों में से महिलाओं एवं पुरूषों को बिना किसी भेद-भाव के अनिवार्य रूप से समान अवसर उपलब्ध कराया जाय।

कृपया उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-01/2021/2487(1)/पन्चानवे-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस कमिश्नर, लखनऊ/नोएडा।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप महासमादेष्टा होमगार्डस उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट एवं जिला कमाण्डेण्ड होमगार्डस उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ-226005

+91-522-2451388, सीयूजी-91-80050194100, फैक्स+91-522-2450251, ईमेल cghg-up@nic.in

पत्र संख्या 1453/लेखा/ड्यूटी-37/2013(पार्ट-1) दिनांक: फरवरी 03, 2021

प्रेषित,

1- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्डस प्रयागराज/आगरा एवं झांसी।

2- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
के०प्रशि०सं० होमगार्डस, उ०प्र० लखनऊ।

3- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट,
होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

-4समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट,
मण्डलीय प्रशि० केन्द्र होमगार्डस, उ०प्र०।

5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्डस, उत्तर प्रदेश

विषय: फील्ड स्तर के विभागीय अधिकारियों एवं कार्यालयों के सुरक्षार्थ अतिसंवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत <u>होमगार्डस स्वयंसेवकों की तैनाती के सम्बन्ध में।</u>

कृपया उपर्यक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फील्ड स्तर के विभागीय अधिकारियों यथा- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेन्ट/मण्डलीय कमाण्डेन्ट(प्रशिक्षण)/जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस तथा मण्डलीय कमाण्डेन्ट/मण्डलीय कमाण्डेन्ट (म०प्र०के०)/ जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस के कार्यालय के सुरक्षार्थ निम्नलिखित विवरण के अनुसार कालम-03 में अंकित संख्या के अनुसार अति संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत एन०आई०सी० द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से होमगार्डस स्वंयसेवकों को तैनात किये जाने की स्वीकृति कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक: 28-01-2021 को निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पदनाम/कार्यलय	अतिसंवेदनशील श्रेणी के स्वीकृत होमगार्डस स्वयंसेवकों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	समस्त डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस	08	-
2	समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट , होमगार्डस	06	-
3	समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस	06	-
4	समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस	06	-
5	समस्त मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस	12	गार्द सुरक्षा हेतु
6	समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट एवं मण्डलीय कमाण्डेन्ट (प्रशिक्षण) तथा समस्त जिला होमगार्डस कार्यालयों के सुरक्षार्थ	04	-

(रणजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- कमाण्डेण्ट जनरल महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

2- वित्त नियन्त्रक होमगार्ड्स, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(रणजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल

अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

होमगाडर्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ- 226005

फोन नं0 0522-2451388 सी0यू0जी0-8005194100 फैक्स-0522-2975170 ई0मे0-Crhq-Hg.lu@up.gov.in

पत्रसख्या 2596/लेखा/स-26/2015, दिनांक मार्च 06, 2021

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेण्ट,
होमगार्ड्स.
उत्तर प्रदेश।

विषयः पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों के साथ पूर्व निर्धारित संवेदनशील कोटा क्रमशः 07 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत के अन्तर्गत ही होमगार्डस स्वंयसेवकों को प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक होमगार्डस स्वंयसेवकों को प्रशासनिक अधिकारियों, वाह्य प्रतिष्ठानों एवं कारागार आदि के अतिरिक्त मॉग के आधार पर पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों के साथ भी पूर्व निर्धारित संवेदनशील कोटा कमशः 07 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत के अन्तर्गत होमगार्ड्स स्वंयसेवकों को प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि होमगार्डस स्वंयसेवकों को प्रशासनिक अधिकारियों, वाह्य प्रतिष्ठानों एवं कारागार आदि के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मॉग के सापेक्ष उपलब्धता के आधार पर पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों के साथ भी पूर्व निर्धारित संवेदनशील कोटा कमशः 07 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत के अन्तर्गत ही आगामी माह से अप्रैल, 2021 से होमगार्डस स्वयसेवकों का प्रतिस्थापन किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों की मांग पर भी होमगाईस स्वयसेवकों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित हो सके।

(ए०पी० सिंह)
स्टाफ ऑफीसर टू कमाण्डेण्ट जनरल/
कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्डस, परिक्षेत्र-लखनऊ, प्रयागराज, आगरा एवं झाँसी।

2- समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

(ए०पी० सिंह)
स्टाफ ऑफीसर टू कमाण्डेण्ट जनरल/
कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी

अति महत्वपूर्ण/डियूटी पतिस्थापन।

होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ-226005

संख्याः3473 /लेखा/सात-146/2005 (पार्ट-2) दिनांक: मार्च 30 2021

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,
होगगाइर्स उत्तर प्रदेश।

विषयः मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक: 30-07-2019 एवं तत्क्रम में शासन के आदेश संख्याः 1683/पन्चानबे-19-46रिट/15 टीसी ।।।, दिनांक: 05 सितम्बर, 2019 के क्रम में होगगार्ड्स स्वयंसेवकों की ड्यूटी प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक होगगाइर्स गुख्यालय के पत्र संख्या: 11997/लेखा/सात-146/2005 (पार्ट-2) दिनांक 27-09-2019 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में विभागीय आय-व्ययक से विभिन्न ड्यूटियों पर नियोजित हो रहे होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की संख्या-51575 में बजट की कमी के कारण लगभग 32 प्रतिशत कुल 16519 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की इयूटी कम करते हुए अनुवर्ती गाहों में संलग्न सूची के अनुसार जनपदवार होमगार्ड्स की कुल ड्यूटी संख्या 35056 निर्धारित की गयी थी।

इस सम्बन्ध में शासन के निर्देशानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत विभागीय आय-व्ययक से विभिन्न ड्यूटियों पर पूर्ववत स्वीकृत 51575 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 ने तैनात किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतः होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र संख्या: 11997/लेखा/सात-146/2005 (पार्ट-2) दिनांक 27-09-2019 के साथ संलग्न सूची के कालम-8 में अंकित विवरण के अनुसार होमगार्ड्स के प्रतिस्थापन एवं ड्यूटी भत्ता भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार समय से सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त पुलिस आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष प्रदेश में शांति/कानून एवं व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यवस्थापित 25000 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की निरन्तरता दिनांक 31-03-2021 से आगे (01-04-2021 से 31-03-2022 तक) बढ़ाये जाने की सहमति अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 24-03-2021 को सम्पन्न् बैठक में प्रदान की गयी है। अतएव प्रश्नगत ड्यूटी पर सम्बन्धित जनपद हेतु पूर्व निर्धारित संख्या के अनुसार 25000 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का इयूटी प्रतिस्थापन भी किया जाना सुनिश्चित करें

(रणजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शारान, लखनऊ ।
2- अपर मुख्य सचिव, होमगार्ड्स, उ०प्र० शासन, तखनऊ।
3- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, तखनऊ।
4- वैयक्तिक सहायक, कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स गुख्यालय को कमाण्डेन्ट जनरल महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु ।
5- समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होगगार्ड्स, प्रयागराज/झांसी/आगरा/लखनऊ।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- सगस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होगगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

(रणजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल

अतिआवश्यक/समयबद्ध

होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ-226005

फोन नं० 0522-2451388 सी0यू0जी0-8005194100 फैक्स-0522-2975170 ई०मे०-Crhq-Hq.lu@upgov.in

पत्र सख्या- 6300/लेखा/स-26/2015, दिनांकः अगस्त, 02 2021

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेण्ट,
होम गार्ड्स,
उत्तर प्रदेश।

विषय- जनपद में 05 जोडी होम गार्ड्स के पारस्परिक ड्यूटी स्थल परिवर्तन के सम्बध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक: 22-07-2021 को आयोजित बैठक में साफ्टवेयर से निर्गत ड्यूटी स्थल में अंकित होम गार्ड्स के नाम से ड्यूटी स्थल में अपरिहार्य परिस्थितियों में परिवर्तन की स्थिति उद्भभूत होने पर सक्षम स्तर से लिखित रूप से मॉग/निर्देश प्राप्त होने पर जनपद के जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के उपरान्त ही अधिकतम 05 जोड़ी होम गार्ड्स का पारस्परिक ड्यूटी स्थल परिवर्तन किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी थी।

उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि साफ्टवेयर से निर्गत ड्यूटी स्थल में अंकित होम गार्ड्स के नाम से ड्यूटी स्थल में अपरिहार्य परिस्थितियों में परिवर्तन की स्थिति उद्भभूत होने पर सक्षम स्तर से लिखित रूप से माँग/निर्देश प्राप्त होने पर जनपद के जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के उपरान्त ही अधिकतम 05 जोड़ी होम गार्ड्स का पारस्परिक ड्यूटी स्थल परिवर्तन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त सम्बन्ध में जनपद स्तर पर किये गये पारस्परिक स्थल परिवर्तन से सम्बन्धित समस्त प्रकार का डाटा प्रत्येक जनपद में अपडेट/ अद्यावधिक कर रखा जायेगा, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सके।

(विजय कुमार)
पुलिस महानिदेशक/
कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- अपर मुख्य सचिव, होमगार्ड्स, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स-परिक्षेत्र-प्रयागराज/आगरा/लखनऊ एवं झाँसी।
3- समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

(विजय कुमार)
पुलिस महानिदेशक/
कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स

होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदश, लखनऊ।

सी०यू०जी० 91 800519410D फैक्स फैक्स-91-522-2450251, ई०मेल-cghg-up@nic.in

संख्याः 6915/लेखा/ड्यूटी-37/2013, दिनांकः अगस्त 19, 2021

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,
होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रदेश में आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनके स्थान पर कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत 2500 होमगार्ड्स के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र संख्या: 8992/लेखा/ड्यूटी-37/2017 दिनांक 14-11-2017 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था के पत्र संख्या: डीजी-आठ 94 (होमगार्ड्स) 2017 दिनांक 14-11-2017 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशित किया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से ब्रेकअप प्राप्त करते हुए जनपदवार आवंटित संख्या के अनुसार होमगार्ड्स स्वयंसेवक का ड्यूटी प्रतिस्थापन एवं ड्यूटी भत्ता भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य सचिव, होमगार्ड्स विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03-08-2021 को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 11-08-2021 के बिन्दु-2 में यह निर्देश दिये गये हैं कि "वर्तमान होमगार्ड्स विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न जनपदों में नियोजित की जाने वाली संख्या, गृह विभाग द्वारा अतिरिक्त वांछित 25000 होमगार्ड्स स्वयंसेवक, कारागार, डायल-112 तथा अन्य वाह्य ड्यूटियों में वांछित/नियोजित होमगार्डर्स की संख्या कुल उपलब्ध होमगार्ड्स की संख्या से प्रायः अधिक है। ऐसी दशा में प्रत्येक जनपद में सभी होमगार्डर्स को समान रूप से अधिकाधिक ड्यूटी के अवसर प्राप्त होने चाहिए। कृपया इस विषय के विसंगति दूर करते हुए यथेष्ट कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।"

शासन से प्राप्त उक्त निर्देशों के क्रम में जनपदवार होमगार्ड्स की आवंटित ड्यूटी संख्या/मांग के सापेक्ष जनपदों में होमगार्ड्स की उपलब्धता/प्रतीक्षारत होमगार्ड्स के विवरण का परीक्षण करने पर कतिपय जनपदों आवंटित ड्यूटी संख्या को कम करके ऐसे जनपदों को आवंटित किये जाने की स्थिति उद्भूत हुई है, जहाँ होमगार्ड्स की उपलब्धता अधिक है। ऐसी इकाईयों की ड्यूटी संख्या में आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए ड्यूटी प्रतिस्थापन का नवीन संख्या निर्धारित की गयी है।

अतः उपरोक्त जनपदवार तैयार किये गये विवरण को संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि संलग्न विवरण के कालम-4 में अंकित नवीन संख्या के अनुसार सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से ब्रेकअप प्राप्त करते हुए जनपदवार संशोधित संख्या के अनुसार होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी प्रतिस्थापन एवं ड्यूटी भत्ता भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करें ताकि जनपदों में सभी होमगार्ड्स का समान रूप से ड्यूटी के अवसर प्राप्त हो सके।

संलग्नक-यथोक्त ।

(विजय कुमार)
कमाण्डेन्ट जनरल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- अपर मुख्य सचिव, होमगार्ड्स विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2- पुलिस महानिदेशक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरत्र होमगार्डस, प्रयागराज झांसी, आगरा, लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

(विजय कुमार)
कमाण्डेन्ट जनरल

क्र0सं0	जनपद	होमगार्डस मुख्यालय के पत्र संख्या:8992/लेखा /ड्यूटी-37/2017 दिनांक 14-11-2017 द्वारा अतिरिक्त पुलिस ड्यूटी हेतु होमगार्डस उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्धारित की गयी संख्या	नवीन निर्धारित संख्या
1	2	3	4
1	आगरा	550	550
2	फिरोजाबाद	300	300
3	मैनपुरी	250	200
4	मथुरा	300	300
5	अलीगढ	350	250
6	हाथरस	200	200
7	एटा	273	297
8	कासगंज	300	422
9	प्रयागराज	1236	1036
10	कौशाम्बी	200	200
11	फतेहपुर	250	250
12	प्रतापगढ	300	220
13	आजमगढ	750	700
14	मऊ	200	200
15	बलिया	842	762
16	बरेली	700	620
17	बदायूँ	645	724
18	पीलीभीत	236	236
19	शाहजहाँपुर	650	666
20	मुरादाबाद	200	244
21	सम्भल	400	433
22	अमरोहा	103	103
23	रामपुर	450	437
24	बिजनौर	600	600
25	अयोध्या	120	0
26	अम्बेडकरनगर	64	0
27	बाराबंकी	300	328
28	सुल्तानपुर	300	300
29	अमेठी	59	80
30	गोण्डा	600	420
31	बलरामपुर	200	266
32	बहराइच	544	560
33	श्रावस्ती	50	50
34	गोरखपुर	700	700
35	देवरिया	350	350
36	महराजगंज	300	300

37	कुशीनगर	400	417
38	बस्ती	409	379
39	संतकबीरनगर	162	174
40	सिद्धार्थनगर	250	250
41	झाँसी	350	350
42	जालौन	350	415
43	ललितपुर	60	60
44	बांदा	153	153
45	चित्रकूट	15	0
46	हमीरपुर	194	194
47	महोबा	5	5
48	कानपुर नगर	900	1090
49	कानपुर देहात	100	100
50	इटावा	24	0
51	औरैया	85	85
52	फतेहगढ	327	327
53	कन्नौज	212	212
54	लखनऊ	0	0
55	हरदोई	750	670
56	खीरी	450	512
57	रायबरेली	435	435
58	सीतापुर	933	933
59	उन्नाव	300	300
60	मेरठ	50	119
61	बागपत	50	76
62	बुलन्दशहर	500	660
63	गाजियाबाद	0	0
64	गौतमबुद्ध	11	11
65	हापुड	79	79
66	सहारनपुर	550	660
67	मुजफ्फर नगर	400	400
68	शामली	216	239
69	वाराणसी	300	220
70	चन्दौली	200	200
71	गाजीपुर	550	588
72	जौनपुर	855	855
73	मिर्जापुर	350	373
74	भदोही	53	53
75	सोनभद्र	100	100
	योग-	25000	25000

होमगार्डस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, होमगार्डस मुख्यालय रोड़, लखनऊ-226005

फोन+91-522-2452388 सीपूजी-91-8005194100 फेक्स +91-2452894 ई०मेल cghg-up@nic.in

पत्र संख्या: 10727/लेखा/ड्यूटी-1/2009 दिनांक: दिसम्बर 06.2021

कार्यालय-ज्ञाप

शासन द्वारा फील्ड स्तर के विभागीय अधिकारियों यथा-डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल एवं मण्डलीय कमाण्डेण्ट/मण्डलीय कमाण्डेण्ट प्रशिक्षण/जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस की सुरक्षा के दृष्टिगत क्रमशः 08 एवं 06-06 होमगार्डस स्वंयसेवकों की तैनाती की स्वीकृति प्रदत्त है। इस सम्बन्ध में कतिपय अधिकारियों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिगत एक जनपद से दूसरे जनपद के लिए स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे, जिसके क्रम में निम्नलिखित अधिकारियो की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी थी:-

1- श्री विवेक कुमार सिंह, डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, प्रशिक्षण, के०प्र०सं०, होमगार्डस, उ०प्र०, तखनऊ।

2- श्री सुबाष राम, मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, सहारनपुर।

3- श्री अतुल कुमार सिंह, जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस, तखनऊ।

उक्त समिति की प्राप्त कार्यवृत्त/आख्या दिनाँक 03-12-2021 द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्याः 40/2020/1616/पन्चानवे-2020-138 होगा/97, दिनाँक 24 सितम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 2943/छःनासु-09-138होगा/97 दिनांक 24-08-2009 द्वारा शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले विभिन्न अधिकारियों के यहाँ सम्बद्ध किये जाने वाले होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की मानक अधिकतम संख्या निर्धारित की गयी है, जिसमें डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरत के साथ 08-08 एव मण्डलीय कमाण्डेण्ट/जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस की सुरक्षा के दृष्टिगत 06-06 होमगाईस स्वंसेवकों की तैनाती की स्वीकृति प्रदत्त है, जिसके क्रम में उन्हे उनकी तैनाती की जनपदीय इकाई से अति संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत होमगार्ड्स उपलव्ध कराये जाते रहे हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि प्रदेश के विभिन्न इकाइयों में तैनात राजपत्रित अधिकारियों को सुरक्षा ड्यूटी हेतु अनुमन्य की गयी संख्या के अन्तर्गत उनके परिवार/आवास की सुरक्षा व्यवस्था हेतु अधिकत्तम 02 होमगार्डईस की तैनाती सम्बन्धित जनपद जहाँ उनका परिवार आवासित है, से सम्बन्धित जिता कमाण्डेण्ट, के द्वारा अति संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना विचारणीय बताते हुए समिति द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि समूह-"ख" के राजपत्रित अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तथा समूह 'क' के राजपत्रित अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनाती नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की देख-भाल तथा अन्य पारिवारिक कारणों से कतिपय राजपत्रित अधिकारियों के परिवार उनके तैनाती के जनपदों से भिन्न जनपदों में आवासित रहते हैं। ऐसे अधिकारियों को अपने पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा की चिन्ता निरंतर बनी रहती है

अस्तु प्रकरण में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आलोक में फील्ड स्तर के विभागीय राजपत्रित अधिकारियों यथा- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट/मण्डलीय कमाण्डेण्ट प्रशिक्षण/जिला कमाण्डेण्ट, होमगाईस की सुरक्षा के दृष्टिगत शासनादेश दिनाँक 24 सितम्बर, 2020 द्वारा स्वीकृत होमगार्डस के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों के कोटे से अधिकतम 02 होमगार्ड्स उनकी माँग/अनुरोध किए जाने पर अति

संवेदनशील श्रेणी के अन्तर्गत उपलव्ध कराये जा सकते हैं। होमगाईस की मांग करने वाले अधिकारी द्वारा अपना माँग-पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला कमाण्डेण्ट को प्रेषित किया जायेगा जिसमें प्रमाण सहित अवगत कराया जायेगा कि उनका परिवार उनकी तैनाती जनपद से इतर आवासित है। तदोपरान्त संबंधित अधिकारी के मांग पत्र पत्र के सम्बन्धित जनपद के जिला कमाण्डेण्ट के स्तर से अधिकतम 02 होमगार्ड्स की तैनाती सुनिहित करते हुए उनके भुगतान आदि की कार्यवाही की जायेगी तथा उसकी सूचना होमगार्ड्स मुख्यालय को आवश्यक आवश्यक कार्यवाही हेतु की जायेगी। सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा निर्धारित कोटे से अधिक होमगार्डस तैनात नहीं किया जाये।

(विजय कुमार)
पुलिस महानिदेशक/
कमाण्डेण्ट जनरल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- होमगाईस मुख्यालय के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण ।
2- डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, प्रशिक्षण, के०प्र०सं०, होगगाईस, लखनऊ।
3- समस्त परिक्षेत्रीय डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगाईस, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होगगाईस, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस, उ०प्र०।
6- समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगाईस, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/समस्त प्रशासनिक अधिकारी, होगगाईस मुख्यालय।
8- गार्ड फाइल में अभिलेखार्थ।

(विजय कुमार)
पुलिस महानिदेशक/
कमाण्डेण्ट जनरल

संख्या-17/2022/2182/पन्चानबे-2021-46 रिट/15 टी0सी0 ।।।

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 11 मई, 2022

विषय:- केन्द्र सरकार के विभागों, विभिन्न सार्वजनिक उद्यमो, प्राधिकरणो, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों शासकीय तथा अर्द्ध शासकीय संस्थानों में कामर्शियल ड्यूटी पर नियोजित होमगार्ड्स स्वयंसेवको के वाह्य प्रतिष्ठानों मे होमगार्डस के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-59/2019/1834/पन्चानबें-19-46 रिट/15 टी0सी0।।।, दिनांक 23 सितम्बर, 2019 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अपील संख्या-2264/2017 में पारित आदेश दिनांक 30-07-2019 के अनुपालन में होमगार्ड स्वयंसेवकों को रू0 600/- तथा प्रचलित महँगाई भत्तों को जोड़कर दैनिक ड्यूटी भत्ता दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश में सभी विभागों एवं अन्य वाह्य संस्थानों, केन्द्र सरकार के विभागों, केन्द्र सरकार अथवा प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों, उद्यमों, प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य शासकीय/अर्द्ध शासकीय अथवा निजी संस्थानों आदि जहॉ पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक ड्यूटी पर नियोजित किये जा रहे हैं, इन्हीं दरो पर दिनांक 01 सितम्बर, 2019 से ही होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्तों का भुगतान किया जा रहा है।

2. उपरोक्त आदेश के क्रम में ही दिनांक 06 दिसम्बर, 2016 से 30 सितम्बर, 2019 तक होमगार्ड स्वयं सेवकों के ड्यूटी भत्ते के सापेक्ष एरियर का भुगतान भी किया जाना है। इस हेतु शासनादेश संख्या 59/2019/1834/पन्चानबें-19-46 रिट/15 टी0सी0।।।, दिनांक 23-09-2020 द्वारा एवं मुख्यालय के आदेश द्वारा तथा जनपदों के जिला कमाण्डेन्ट द्वारा अपने वाह्य संस्थानों से सम्पर्क करके एरियर के भुगतान का प्रयास भी किया गया है, किन्तु रिकार्ड के समुचित रख-रखाव के अभाव में अथवा अपेक्षित रूचि न लिये जाने के कारण उनके वाह्य संस्थानों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के उक्त अवधि के एरियर का अभी तक पूर्ण भुगतान नहीं हो सका है।

3. शासन द्वारा सामान्य रूप से किसी भी वर्ष की 01 जनवरी से तथा 01 जुलाई से महँगाई भत्ते की दरें संशोधित की जाती हैं तथा तत्संबंधी शासनादेश कतिपय विलम्ब से निर्गत होता है। इस प्रकार भविष्य में भी 01 जनवरी तथा 01 जुलाई से महँगाई भत्तों की दरों में वृद्धि के कारण होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्तों में वृद्धि होने के शासनादेश पारित होने की तिथि तक के एरियर का भुगतान किया जाना होगा। इस एरियर के भुगतान में आने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी वाह्य संस्थान में होमगार्ड्स स्वयंसेवक की ड्यूटी नियोजित करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के लिए उनसे कम से कम 06 माह के होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते की अनुमानित अग्रिम राशि जिला कमाण्डेन्ट द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त की जायेगी।

4- इसी अग्रिम राशि में से जिला कमाण्डेन्ट द्वारा उस वाह्य संस्थान में नियोजित होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जायेगा। यदि किसी वाह्य संस्थान द्वारा अग्रिम धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उसे सम्बन्धित जिला कमाण्डेन्ट द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की सेवाएँ उपलब्ध नहीं करायी जायेंगी। यह व्यवस्था 01 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी। इस संबंध में सभी वाह्य संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को संबंधित जिला कमाण्डेन्ट सूचित करेंगे।

5- इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय विभागों जैसे- कानून एवं शांति व्यवस्था हेतु नियोजित 25000 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों (गृह विभाग), डायल 112 (गृह विभाग), जेल विभाग, सचिवालय प्रशासन, खनन विभाग एवं परिवहन विभाग आदि के लिए शासन स्तर से ही व्यवस्था लागू करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः इन विभागों के संदर्भ में जिला कमाण्डेन्ट को राज्य सरकार के विभागों के जनपदीय प्रभारियों से किसी अतिरिक्त कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय

अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-17/2022/2182(1)/पन्चानबे-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड-2, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट ग्रेड-1, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश
4. समस्त जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

भवदीय,
अशोक कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-23/2022/1452/सन्चानबे-2022-390 होगा/97

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 जून, 2022

विषयः- केन्द्र सरकार के विभागों, विभिन्न सार्वजनिक उद्यमो, प्राधिकरणो, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों शासकीय तथा अर्द्ध शासकीय संस्थानों एवं अन्य वाह्य प्रतिष्ठानों मे नियोजित होमगार्डस स्वयंसेवकों के प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-17/2022/2182/सन्चानबे-2021-46 रिट/15 टी0सी0।।।, दिनांक 11 मई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाह्य प्रतिष्ठानों में होमगार्डस स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर नियोजित करने के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों से 06 माह के ड्यूटी भत्ते की अनुमानित अग्रिम राशि प्राप्त करने के तथा यह अग्रिम राशि प्राप्त न होने की दशा में ऐसे वाह्य संस्थानों को 01 जुलाई, 2022 से होमगार्डस स्वयंसेवकों की सेवाएँ उपलब्ध न कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24.06.2022 को मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), होमगार्डस विभाग की अध्यक्षता में समस्त जिला कमाण्डेण्ट एवं मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्डस के साथ आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग में यह संज्ञान में लाया गया था कि अधिकांश वाह्य प्रतिष्ठानों द्वारा शासकीय प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण अभी अग्रिम की धनराशि उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी है तथा पूर्व की भाँति ही होमगार्डस स्वयंसेवकों की ड्यूटी बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में वाह्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत होमगार्डस स्वयंसेवकों की ड्यूटी पूर्ववत व्यवस्था के अन्तर्गत लगाये रखी जाए। जिला कमाण्डेण्ट द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वाह्य प्रतिष्ठानों द्वारा होमगार्डस स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्तों का ससमय भुगतान कर दिया जाए।

भवदीय

अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव

............2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

........2........

<u>संख्या-23/2022/1452(1)/पन्चानबे-2022-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट ग्रेड-2, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट ग्रेड-1, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश
4. समस्त जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

भवदीय,
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226005

फोन 01-0522 2451308, सीयूजी 91-8005104100, फैक्स 91-0522-2075170 ई०मेल Crhq-Hg.lu@up.gov.in

पत्र संख्याः 6840/लेखा/ड्यूटी-16/2014(पार्ट- 2). दिनांकः जुलाई 21. 2022

प्रेषित,

1- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगाईस, परिक्षेत्र-आगरा,
<u>प्रयागराज, लखनऊ एवं झांसी।</u>

2- स्टाफ आफिसर टू कमाण्डेन्ट जनरल,
<u>होमगाईरा मुख्यालय।</u>

3- सीनियर स्टाफ आफिसर,
<u>होगगाईस मुख्यालय।</u>

4- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, प्रशिक्षण,
<u>के०प्र०सं०, होमगाईस, लखनऊ।</u>

5- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट,
<u>होमगाईस, उत्तर प्रदेश।</u>

6- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट,
मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र,
<u>होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।</u>

7- समस्त जिला कमाण्डेन्ट,
<u>होमगाईस, उत्तर प्रदेश।</u>

विषयः स्थानान्तरणाधीन अधिकारियों को प्रचलित माह में उनके साथ उनकी स्थानान्तरण से पूर्व की तैनाती की इकाई के <u>होमगार्ड्स को यथावत हमराह / सुरक्षार्थ तैनात रखने की अनुमन्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध मे।</u>

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरित अधिकारियो के प्रार्थना पत्रों द्वारा उनके साथ सुरक्षार्थ लगे होमगार्ड्स की ड्यूटी साफ्टवेयर में लॉक हो जाने की स्थिति में इन होमगार्ड्स को यथावत बनाये रखने के किये गये अनुरोध पर विचारोपरान्त कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस, उ०प्र० द्वारा प्रश्नगत प्रतिस्थापन की स्वीकृति प्रदान करते हुए यह नीति निर्धारित की गयी है कि भविष्य में स्थानान्तरणाधीन अधिकारियों को प्रचलित माह में यथावत होमगार्ड्स हमराह/सुरक्षार्थ उपलब्ध रहने की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। प्रश्नगत ड्यूटी की अनुमन्यता किसी भी दशा में उस माह की अन्तिम तिथि से अधिक हेतु अनुमन्य नहीं होगी।

अतः तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

(रणजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल

प्रतिलिपिः- ड्यूटी इचार्ज, होमगार्ड्स मुख्यालय को इस आशय से कि प्रश्नगत पत्र समस्त सम्बन्धित को वाट्सऐप के माध्यम से तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

(रणजीत सिंह)
डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल

संख्या-45/2022/2066/पन्चानबे-2022-229 होगा/2017

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

2. समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्डस,
उत्तर प्रदेश।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक 04 अगस्त, 2022

विषय:- जनपदों की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पुलिस विभाग को 10,000 होमगार्ड्स आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1148/पन्चानबे-2022, दिनांक 25 मई, 2022 द्वारा प्रदेश में विभिन्न जनपदों में यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 10,000 होमगार्ड्स उपलब्ध कराये जाने के विषय में निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके क्रम में आज दिनांक 04.08.2022 को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय कक्ष में उप महानिरीक्षक, यातायात एवं अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा हुई।

2- उपरोक्त बैठक में यह अवगत कराया गया है कि प्रदेश में यातायात में 10,000 होमगार्ड की आवश्यकता के सापेक्ष 4,726 होमगार्ड उपलबध कराये जा चुके हैं तथा अभी 5,531 कार्मिकों/स्वयंसेवकों की और आवश्यकता है, जिसकी जनपदवार सूची संलग्न की जा रही है।

3- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स अपने जनपदों के पुलिस आयुक्तों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के साथ पुलिस के निवर्तन पर वर्तमान में उपलब्ध समस्त ड्यूटी स्थलों पर तैनात होमगार्ड की संख्या के साथ विमर्श कर लें, जिससे पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने अन्य ड्यूटी स्थलों के आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुये यातायात के लिए आवश्यक संख्या बल उपलब्ध करा सकें।

4- सभी जनपद इस सम्बन्ध में कृत कार्यावाही की सूचना कल दिनांक 05.08.2022 को सायं तक होमगार्ड्स मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। महासमादेष्टा, होमगार्ड्स कृपया इस सूचना को संकलित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-45/2022/2066(1)/सन्चानबे-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. अपर महानिदेशक, यातायात, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्डस ग्रेड-1/2, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

भवदीय,
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-57/2022/2805/पन्चानबे-2022

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस आयुक्त, लखनऊ /गौतमबुद्धनगर /
कानपुर नगर /वाराणसी,
समस्त जिलाधिकारी,
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

होमगार्डस विभाग लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2022

विषय: ड्यूटीरत होमगार्ड्स की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज करने तथा उनके ड्यूटी मस्टररोल ऑनलाइन जनरेट कर अग्रसारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों में होमगार्ड्स का ड्यूटी संचरण एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। उक्त प्रक्रिया को आगे बढाते हुए होमगार्ड्स की दैनिक उपस्थिति को सॉफ्टवेयर में प्रति दिवस ऑनलाइन अंकित करते हुए माह के अंत में ड्यूटी स्थल का मस्टर रोल जनरेट करने तथा कोषागार से होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्ते का भुगतान सीधे होम गार्ड्स के, बैंक खाते (without manual intervention) में कराए जाने की व्यवस्था विकसित की गयी है।

2 प्रदेश के समस्त जनपदों में जिन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, थानो व अन्य ड्यूटी स्थल पर होम गार्ड्स तैनात किये जाते हैं, उन सभी ड्यूटी स्थल की लॉगिन आईडी एन0आई0सी0 द्वारा तैयार कर सम्बन्धित जिला कमाण्डेण्ट के माध्यम से संबंधित ड्यूटी स्थल के प्रभारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट कार्मिकों को प्राप्त कराया जा चुका है तथा स्वयं का पासवर्ड बनाए जाने, यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन करने के पश्चात अपने ड्यूटी स्थल पर नियोजित समस्त होम गार्डस का विवरण देखने, माह के प्रारंभ में होम गार्ड के उपस्थित होने पर उसकी आमद /उपस्थिति दर्ज करने तथा उसके पश्चात संपूर्ण माह मे उसकी दैनिक उपस्थिति /अनुपस्थिति भरे जाने के संबंध में पूर्ण प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराया जा चुका है, परन्तु कतिपय यूजर्स (होमगार्ड्स प्राप्तकर्ता अधिकारी) द्वारा नियत तिथियों में लॉगिन कर होमगार्ड की दैनिक उपस्थिति /अनुपस्थिति दर्ज किए जाने में उदासीनता का परिचय दिया जा रहा है।

....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

....2....

3- होम गार्ड्स द्वारा पूरे माह अपनी ड्यूटी मेहनत एवं लगन के साथ सम्पादित करने के पश्चात भी कतिपय यूजर्स (होमगार्ड्स प्राप्तकर्ता अधिकारी) की उदासीनता एवं अपने दायित्वों का समय से निर्वहन न करने तथा तत्परता से मस्टररोल का अग्रेषण न किए जाने के फलस्वरूप होम गार्डस के ड्यूटी भत्ते के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब किया जाना अल्प पारिश्रमिक पर कार्यरत सहयोगियों के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता का परिचायक नहीं है।

4- अतः अपने अधीनस्थ ऐसे समस्त अधिकारियों (यूजर्स), जिनके साथ अथवा कार्यालय में होमगार्ड्स तैनात किये जाते हैं, को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे तत्काल प्रभाव से नियमित रूप से होम गार्डस की उपस्थिति / अनुपस्थिति विभाग की वेब-साइट (homeguard.up.gov.in) पर लॉगिन अपेक्षित करते हुए ऑनलाइन अंकित करना प्रारम्भ कर दें, जिससे उनके द्वारा अंकित की गयी उपस्थिति / अनुपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह की समाप्ति पर ऑनलाइन मस्टर रोल जनरेट करते हुए होमगार्डस के ड्यूटी भत्तों का त्रुटिरहित भुगतान पारदर्शी तरीके से ससमय कराया जा सके।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,
अनिल कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या-57/2022/2805/(1)पन्चानबे-2022- तद्‌दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक / कमाण्डेन्ट जनरल, होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
10- गार्ड-बुक।

आज्ञा से
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रदेश के ऐसे समस्त यूजर्स (उपयोगकर्ता अधिकारियों) जिनके साथ होमगार्ड्स तैनात किये गये है, की लॉगिन आई0डी0 तैयार कर क्रियाशील किये जाने, होमगार्ड्स की दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन अंकित किये जाने तथा माह की समाप्ति पर उसे सब्मिट करते हुए जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स को मस्टररोल अग्रसारित करने की समस्त प्रक्रिया का विवरण निम्नवत है :-

1. सभी ड्यूटी स्थलों की लॉगिन आईडी तैयार कर उन्हें क्रियाशील किए जाने हेतु उक्त ड्यूटी स्थल के अधिकारी की स्वयं की अथवा उनके अधीनस्थ कोई कार्मिक, जिन्हें वह होमगार्ड्स की ऑन लाइन उपस्थिति / अनुपस्थित अंकित करने हेतु नामित करते हैं के (1) नाम (2) पदनाम (3) दूरभाष नंबर व (4) ई-मेल आईडी की आवश्यकता जिला कमाण्डेण्ट को होगी। अतः कृपया अपने अधीनस्थ / नियंत्रणाधीन ऐसे समस्त यूजर्स (उपयोगकर्ता अधिकारियों), जिनके द्वारा उपरोक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है, को निर्देशित करें कि उपरोक्त सूचना तत्काल जिला कमाण्डेण्ट के कार्यालय में सीधे अथवा उनके द्वारा नामित सम्बन्धित ड्यूटी स्थल के प्रभारी के माध्यम से प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

2. ड्यूटी पॉइंट से अधिकारियों के नाम, पदनाम आदि का विवरण प्राप्त कर जिला कमाण्डेण्ट द्वारा सॉफ्टवेयर में उनकी फीडिंग की कार्यवाही की जाएगी। फीडिंग की कार्यवाही पूर्ण हाने पर प्रत्येक ड्यूटी स्थल के अधिकारी को उस ड्यूटी स्थल की यूनीक आईडी प्रदान की जाएगी। ड्यूटी स्थल के प्रभारी अधिकारी यूजर के रूप में उक्त आई0डी0 का प्रयोग करते हुए अपना पासवर्ड बनायेंगे तथा अपनी लॉगिन आईडी को क्रियाशील करेंगे।

3. संबंधित ड्यूटी स्थल के अधिकारी (यूजर) द्वारा अपनी लॉगिन आईडी हेतु पासवर्ड बनाने एवं उसे क्रियाशील करने हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी :-

- Step 1 :- सर्वप्रथम होमगार्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट homeguard.up.gov.in पर जाना होगा।
- Step 2 :- खुल रहे पेज पर "ड्यूटी संचरण प्रणाली" पर क्लिक करना होगा।
- Step 3 :- "ड्यूटी संचरण प्रणाली" पर क्लिक करने पर खुल रहे पेज में "यूजर आईडी" एवं "पासवर्ड" का प्रयोग करते हुए लॉगिन करने की व्यवस्था दी गई है। प्रथम बार नया पासवर्ड बनाने हेतु "फॉरगाट पासवर्ड" के विकल्प पर क्लिक किया जाएगा।
- Step 4 :- "फॉरगाट पासवर्ड" के विकल्प पर क्लिक करने पर पुनः आपके समक्ष "यूजरनेम फीड" करने का पेज प्रदर्शित होगा जहॉ आपको जिला कमाण्डेण्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई आपके स्थल की यूनिक आईडी को भरना है। यूजरनेम में उपरोक्त आईडी फीड करने एवं कैप्चा भरने के बाद "सबमिट" करने पर आपके द्वारा उपलब्ध कराये गए दूरभाष व ईमेल आईडी पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा जिसे आपको सॉफ्टवेयर में अंकित कर वेरीफाई टैब पर क्लिक करना होगा।
- Step 5 :- ओ0टी0पी0 वेरीफाई करने पर खुले पेज पर यूजर को अपना नया पासवर्ड बनाने हेतु दो कॉलम प्रदर्शित होंगे। दोनो ही कॉलम में आपको अपना नया पासवर्ड फीड करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने पर आपका पासवर्ड तैयार हो जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(**नोट** - पासवर्ड कम से कम 8 व अधिक से अधिक 15 कैरेक्टर का बनाया जा सकेगा। पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (A, B, C.....), एक लोवर केस (a, b, c.....), एक संख्या (1, 2, 3.....) व एक स्पेशल कैरेक्टर (@, #, &,.....) का प्रयोग अनिवार्य है।)

4. अनेक ड्यूटी स्थलों (यूजर्स) द्वारा अपनी लॉगिन आईडी प्राप्त कर ली गयी है तथा पासवर्ड बना लिया गया है, अतः उन्हें उपरोक्त प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। ड्यूटी स्थल के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपनी लॉगिन आईडी को क्रियाशील करने के पश्चात उसका प्रयोग प्रारम्भ कर देना होगा।

5. संबंधित ड्यूटी स्थल के प्रभारी अधिकारी द्वारा होमगार्ड विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'ड्यूटी संचरण प्रणाली' पर क्लिक करने के पश्चात यूजरनेम तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए अपनी आईडी पर लॉगिन किया जाएगा तथा "होमगार्ड की उपस्थिति दर्ज करें" पर क्लिक कर संबंधित माह एवं वर्ष का चयन कर सबमिट बटन पर क्लिक किया जाएगा। खुल रहे पेज में उक्त ड्यूटी स्थल पर उक्त माह में नियोजित समस्त होमगार्ड के नाम, रेजिमेन्ट आईडी, आदि का विवरण प्रदर्शित होगा। माह के प्रारम्भ में प्रथम बार होमगार्ड के उपस्थित होने पर उसकी ऑनलाइन उपस्थिति तद्दिनांक से अंकित करना प्रारम्भ कर दी जाएगी एवं आगामी दिवसों में होमगार्ड की ड्यूटी पर उपस्थित / अनुपस्थिति यथास्थिति दर्ज की जाएगी।

6. सॉफ्टवेयर में ड्यूटी प्रभारी अधिकारी को अपने ड्यूटी स्थल पर तैनात होमगार्ड को उपस्थित / अनुपस्थित करने के क्रम में चार विकल्प प्रदर्शित होंगे जो क्रमशः P, A, X तथा L लेटर के माध्यम से दर्शाए गए है। यदि होमगार्ड उपस्थित हैं तो 'P' विकल्प दर्ज किया जाएगा। यदि होमगार्ड बिना किसी सूचना अथवा अनुमति के अनुपस्थित है तो 'A' विकल्प दर्ज किया जाएगा और यदि होमगार्ड ने अपनी अनुपस्थिति के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है एवं अनुमति से अनुपस्थित है तो 'L' विकल्प दर्ज किया जाएगा। यदि होमगार्ड्स ड्यूटी पर आमद हेतु ही नहीं उपस्थित होता है तो 'X' विकल्प दर्ज किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि 'P' 'X' एवं 'L' तीनो ही विकल्प दर्ज किए जाने पर होमगार्डस को ड्यूटी भत्ता देय नहीं होगा।

7. किसी भी स्थल पर होमगार्ड की दैनिक उपस्थिति अर्थात 'P' विकल्प सॉफ्टवेयर में स्वतः ही प्रदर्शित होगी। अगर आपके ड्यूटी स्थल पर कोई होमगार्ड्स अनुपस्थित होता है तो उसकी अनुपस्थिति आपके स्तर से अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में आपको 'P' विकल्प के स्थान पर 'A' अथवा 'L' विकल्प दर्ज करना होगा। यूजर द्वारा अन्यथा कुछ दर्ज न किये जाने पर पॉच दिवस पश्चात होमगार्ड्स की उपस्थिति 'P' के रूप में स्वतः दर्ज होते हुए फ्रीज हो जायेगी एवं उसमें किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। अतः यूजर (उपयोगकर्ता) को अपनी आईडी से होमगार्ड्स की उपस्थिति / अनुपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु 5 दिवस का विंडो दिया गया है। अपेक्षित यह है कि यूजर द्वारा प्रति दिवस होमगार्ड की अनुपस्थिति / उपस्थिति दर्ज की जाए, परन्तु किन्ही कारणों से यदि प्रति दिवस लॉगिन संभव नहीं होता है तो प्रति 5 दिवस में कम से कम एक बार यूजर द्वारा लॉगिन कर होमगार्ड की पिछले 5 दिवस की उपस्थित / अनुपस्थिति रूथास्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज कर दी जाये। उक्त दी गई अवधि में भी अगर यूजर द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

लॉगिन कर होमगार्ड की अनुपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है एवं साफ्टवेयर की व्यवस्था के अनुसार होमगार्ड्स की अनुपस्थिति स्वतः उपस्थिति के रूप में दर्ज हो कर फ्रीज हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित होमगार्ड को उपस्थित मानते हुए उसके ड्यूटी भत्ते का भुगतान कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण दायित्व यूजर (उपयोगकर्ता अधिकारी) का होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ड्यूटीरत होमगार्डस की दैनिक उपस्थिति / अनुपस्थिति ऑनलाइन अंकित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व यूजर विभाग / अधिकारी (होमगार्ड्स प्राप्तकर्ता अधिकारी) का होगा।

8. लॉगिन करने के बाद होमगार्ड की उपस्थिति अनुपस्थिति दर्ज किए जाने के पश्चात 'ड्राफ्ट उपस्थिति दर्ज करें' के विकल्प पर क्लिक कर दर्ज की गयी उपस्थिति / अनुपस्थिति सबमिट की जाएगी। किसी होमगार्ड को अगर अनुपस्थित दर्ज किया गया है परन्तु 'ड्राफ्ट उपस्थिति' दर्ज नहीं की गई है, तो आगामी दिवस में लॉगिन करने पर उक्त होमगार्ड की उक्त दिवस की अनुपस्थिति पूर्व के अनुसार उपस्थिति के रूप में ही प्रदर्शित होगी। अतः किसी भी होमगार्ड को अनुपस्थित करने पर 'ड्राफ्ट उपस्थिति' अनिवार्य रूप से दर्ज की जानी होगी।

9. किसी भी माह में उपरोक्त प्रक्रियानुसार होमगार्ड्स की संपूर्ण माह की उपस्थिति / अनुपस्थिति दर्ज किये जाने के पश्चात संबंधित यूजर (उपयोगकर्ता अधिकारी) के पास आगामी माह की 5 तारीख तक पिछले माह के समस्त होमगार्डस की दर्ज उपस्थिति / अनुपस्थिति को अंतिम रूप से सबमिट किए जाने का विकल्प होगा। आगामी माह की 5 तारीख तक अगर यूजर द्वारा होमगार्ड की उपस्थिति अंतिम रूप से सबमिट नहीं की जाती है, तो यह मानते हुए कि यूजर के स्तर पर मस्टररोल का पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है, और उसे शुद्ध और सही पाया गया है, संपूर्ण माह की दर्ज की गयी उपस्थिति / अनुपस्थिति मस्टररोल के रूप में स्वतः सबमिट होते हुए जिला कमाण्डेण्ट कार्यालय को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अग्रेषित कर दी जायेगी और उक्त प्रस्तुत उपस्थिति के आधार पर होमगार्ड के ड्यूटी भत्ते के भुगतान की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। यदि यूजर (उपयोगकर्ता) अधिकारी की उदासीनता अथवा लापरवाही के फलस्वरूप अनुपस्थित रहें होमगार्ड्स की उपस्थिति दर्ज हो जाती है, तो इस हेतु सम्बन्धित उपयोगकर्ता अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2023/342/पंचानबे-2023-300होगा/2001

प्रेषक,

पद्माकर शुक्ला,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग　　　　　　　　　　　　　　　　लखनऊ, दिनांक 23 मार्च, 2023

विषय: प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पूर्व से प्रतिस्थापित 25000 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की प्रतिस्थापन अवधि को दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1297/लेखा/ड्यूटी-37/2013(2023-24), दिनांक 16.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त गृह विभाग, उ0प्र0 शासन की सहमति से प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था में सहयोग हेतु पूर्व से प्रतिस्थापित कुल 25000 (पच्चीस हजार) होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की प्रतिस्थापन अवधि को दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय
पद्माकर शुक्ला
संयुक्त सचिव

संख्या-15/2023/342(1)/पंचानबे-2023-300होगा/2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार एवं होमगार्ड्स विभाग, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, होमगार्ड्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
आशुतोष चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पजीकृत / समयबद्ध

उत्तर प्रदेश, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ-226005

फोन+91-522-2452894 सीयूजी-91-8005194003, फैक्स+91-522-2450251, ईमेल cghg-up@nic.in

पत्र संख्या: 4749 / लेसा/ डियूटी-37/2013(2023-24) दिनॉक जून 19 2023

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट,

होमगार्डस,

उत्तर प्रदेश।

विषय- प्रदेश में आरक्षियों की रिक्तियों के सापेक्ष उनके स्थान पर कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत 25000 होमगार्डस के प्रतिस्थापन के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक होमगार्डस मुख्यालय के पत्र संख्या 6915/लेखा/ ड्यूटी-37/2013, दिनाँक 19 अगस्त, 2021 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा संलग्न विवरण के कॉलम न0-04 में अंकित संख्या के क्रम मे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक से ब्रेकअप प्राप्त करते हुए जनपदवार संशोधित संख्या के अनुसार होमगार्डस स्वयंसेवकों का ड्यूटी प्रतिस्थापन एवं ड्यूटी भत्ता भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के संबंध में पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस द्वारा प्रदेश में आरक्षियों की रिक्तियो के सापेक्ष उनके स्थान पर कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत 25000 होमगार्डस के प्रतिस्थापन के सबंध में जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस, लखमीपुर खीरी की मॉग के सापेक्ष जनपद लखीमपुर से 47 होमगार्ड कम करते हुए अधोलिखित जनपदों में निम्नानुसार संख्या के निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र दिनॉक: 19 अगस्त-2021 द्वारा निर्धारित संख्या	नवीन निर्धारित सं0
1	2	3	4
1	लखीमपुर खीरी	512	455
2	सुलतानपुर	300	305
3	बुलन्दशहर	660	673
4	हापुड	79	95
5	भदोही	53	66

अस्तु उक्त के संबंध में संबधित जिला कमाण्डेन्ट को निर्देशित किया जाता है कि कॉलम-04 मे निर्धारित नवीन संख्या के अनुसार संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक से ब्रेकअप प्राप्त करते हुए ड्यूटी प्रतिस्थापन एवं ड्यूटी भत्ता भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करें, ताकि जनपदों में सभी होमगार्डस को समान रूप से ड्यूटी के अवसर प्राप्त हो सके। शेष जनपद होमगार्डस मुख्यालय के पत्र संख्या 6915/लेखा/ड्यूटी-37/2013, दिनाँक 19 अगस्त, 2021 के क्रम में पूर्व की भाँति ड्यूटी का प्रतिस्थापन यथावत् करेंगे।

(विजय कुमार मौर्य)

पुलिस महानिदेशक/

कमाण्डेन्ट जनरल

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- अपर मुख्य सचिव, होमगार्डस विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।

2- पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।

3- विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होगगार्डस, प्रयागराज / झॉसी/आगरा / लखनऊ।

6- समस्त गण्डलीय कमाण्डेन्ट, ग्रेड-2, ग्रेड-1 हांगगार्डस, उत्तर प्रदेश।

(विजय कुमार मौर्य)
पुलिस महानिदेशक/
कमाण्डेन्ट जनरल

रजिस्टर्ड

अतिआवश्यक/वाट्सअप

उत्तर प्रदेश, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ-226005

फोन-91-522-2452894 सीयूजी-91-8005194003 फैक्स +91-522-2450251, ईमेल cghg-up @nic.in

पत्र संख्या: 6645/लेखा/सात-281/2006 (पार्ट-5) दिनॉक- 17 अगस्त 2023

प्रेषित,

समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्डस,

उत्तर प्रदेश।

विषय- समस्त ड्यूटी प्रतिस्थापन साफ्ट्वेयर से ही किये जाने के संबंध में।

कृपया होमगार्डस मुख्यालय के पत्र संख्याः 6300/लेखा/स-26/2015, दिनाँक 02-08-2021 का सदर्भ लें. जिसके द्वारा साफ्ट्वेयर से निर्गत ड्यूटी स्थल में अंकित, होमगार्डस के नाम से ड्यूटी स्थल में अपरिहार्य परिस्थितियों में परिवर्तन की स्थिति उद्भूत होने पर सक्षम स्तर से लिखित रूप में मॉग/निर्देश प्राप्त होने पर जनपद के जिलाधिकारी की लिखित अनुमति के उपरान्त ही अधिकतम 05 जोड़ी होमगार्डस का पारस्परिक ड्यूटी स्थल परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में सापट्वेयर के माध्यम से प्रतिस्थापित होमगार्डस के ड्यूटी भत्तों का भुगतान वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है, जिससे उनके रिकार्ड भी ऑन-लाईन अद्यतन रहते हैं। वर्तमान में साफ्ट्वेयर में स्थल परिवर्तन की कोई व्यवस्था प्राविधानित नहीं है।

अतः पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस, उ०प्र० के आदेशानुसार होमगार्डस मुख्यालय के पत्र संख्याः 6300/लेखा/स-26/2015, दिनॉकः 02-08-2021 द्वारा प्रदत्त 05 जोड़ी होमगार्डस के पारस्परिक ड्यूटी स्थल परिवर्तन की अनुमति को एतद्वारा निरस्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में समस्त होमगार्डस का ड्यूटी प्रतिस्थापन साफ्ट्वेयर के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करे।

(विवेक कुमार सिंह)

डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्डस, परिक्षेत्र लखनऊ/प्रयागराज/आगरा/झॉसी।

3- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, (प्रशिक्षण), केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्डस लखनऊ ।

4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, ग्रेड-2, ग्रेड-1 होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस, उत्तर प्रदेश।

(विवेक कुमार सिंह)

डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल

File No.95-1001(001)/3/2020- -

संख्या-2455/पन्चान्बें-2024

प्रेषक,

पदमाकर शुक्ला,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,

होमगार्डस,

उ०प्र० लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ दिनांक: 16 जनवरी, 2024

विषय- प्रदेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत उपलब्ध 25000 होमगार्डस स्वयंसेवकों की दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक अवधि बढाये जाने एवं निरन्तरता बनाये रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10182/लेखा/ड्यूटी-37/2013(2023-24) दिनांक 27.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रह करने का कष्ट करें।

अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विभाग में उलब्ध विभागीय बजट व्यवस्था की सीमा के अंतर्गत होमगार्डस स्वयंसेवकों की नियोजित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally Signed by पदमाकर शुक्ला
Date: 16-01-2024 10:59:30
Reason: Approved

(पदमाकर शुक्ला)
संयुक्त सचिव